



सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश सरकार

शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के
निर्बन्धनों के अधीन

31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)

उत्तर प्रदेश

विषय सूची

विषय	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
अध्याय-I		
शहरी स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
शहरी स्थानीय निकायों का प्रासन्निक ढाँचा	1.2	2
वित्त पर डाटाबेस	1.3	3
कार्यों का हस्तान्तरण	1.4	3
राजस्व के स्रोत	1.5	4
निधियों का उपभोग	1.6	6
शहरी स्थानीय निकायों की समग्र वित्तीय स्थिति	1.7	8
आन्तरिक नियन्त्रण	1.8	9
बजट बनाना और बजटीय प्रक्रिया	1.9	9
लेखाकन व्यवस्थाएं	1.10	10
लेखा परीक्षा व्यवस्थाएं	1.11	10
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा, तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण, सौंपे जाने की स्थिति	1.12	12
अन्य बिन्दु	1.13	12
निष्कर्ष	1.14	13
संस्तुतियाँ	1.15	13
अध्याय-II		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन	2.1	14
परिचय	2.1.1	14
लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रणाली	2.1.2	15
निधि आवंटन प्रारूप	2.1.3	15
निधियों की अवमुक्ति	2.1.4	15
वित्तीय परिव्यय	2.1.5	16

नियोजन	2.1.6	17
भौतिक उपलब्धि	2.1.7	19
सुधारों का क्रियान्वयन न होना	2.1.8	23
अनुश्रवण	2.1.9	24
निष्कर्ष	2.1.10	25
संस्तुतियाँ	2.1.11	25
बारहवाँ वित्त आयोग अनुदान—शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपभोग	2.2	26
परिचय	2.2.1	26
वित्तीय प्रबंधन	2.2.2	26
टोस अपशिष्ट प्रबंधन	2.2.3	28
डाटाबेस का सृजन एवं लेखों का रख रखाव	2.2.4	29
अनुश्रवण	2.2.5	30
निष्कर्ष	2.2.6	30
संस्तुतियाँ	2.2.7	31
अध्याय—III		
लेन—देनों की लेखापरीक्षा		
नगर निगम, लखनऊ द्वारा रु0 5.04 करोड़ का निष्फल व्यय	3.1	32
रु0 2.16 करोड़ के अग्रिमों का समायोजन न किया जाना	3.2	33
महाराजगंज नगर पंचायत द्वारा रु0 77.19 लाख का अलाभकारी व्यय	3.3	34
रु0 39.60 लाख की राजस्व हानि	3.4	35
देवरिया नगर पालिका परिषद द्वारा रु0 23.49 लाख का अलाभकारी व्यय	3.5	36
कर्मचारियों द्वारा देय धनराशि को सम्बन्धित बैंकों में जमा न करने के कारण दायित्वों का सृजन तथा कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न किया जाना।	3.6	38
बोली की धनराशि रु0 9.18 लाख एवं स्टाम्प शुल्क पर रु0 1.61 लाख की परिहार्य हानि	3.7	38
शासकीय राजस्व को कोषागार में जमा न किया जाना	3.8	39
अवस्थापना निधि से रु0 7.36 लाख का अनियमित व्यय	3.9	40
रुपये 5.43 लाख का आधिक भुगतान	3.10	41

परिशिष्टियां			
परिशिष्ट संख्या	विवरण	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
1	कर संग्रहण की बकाया वसूली	1.6	43
2	नगद अवशेषों का मिलान न किया जाना	1.10	49
3	वैकल्पिक सुधारों की सूची जो राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लागू किये जाने थे	2.1.8	51
4	नमूना जांच की गयी एन0एन0, एन0पी0पी0 एवं एन0पी0 की सूची	2.2.1	52
5	असमायोजित अग्रिम	3.2	53
6	नगर पंचायत गोवर्धन द्वारा दायित्वों के सृजन का विवरण	3.6	54
7	देयकों से काटी गई आयकर/व्यापारकर की धनराशि को शासकीय लेखे में जमा न किया जाना	3.8	55

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी दिशा निर्देशन एवं पर्यवेक्षण (टी0जी0एस0) के निर्बन्धनों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है, जैसा कि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा विचार किया गया था।
2. इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। अध्याय-1 में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों के लेखों पर प्रेक्षण एवं टिप्पणियों सहित उनके क्रिया कलापों का संक्षिप्त परिचय है तथा अध्याय-2 में (i) जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन (ii) बारहवें वित्त आयोग अनुदान – शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुदानों के उपभोग पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अध्याय-3 अनुपालन लेन-देनों की लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों से संबंधित है।
3. प्रतिवेदन में उद्धृत प्रकरण वे हैं जो वर्ष 2007-08 के दौरान लेखों की नमूना लेखापरीक्षा/जांच के क्रम में प्रकाश में आये थे। अप्रैल 2007 से मार्च 2008 की अवधि में 7 नगर निगमों, 39 नगर पालिका परिषदों और 60 नगर पंचायतों के लेखे व अन्य अभिलेखों की जांच की गयी थी।

अध्याय-1

शहरी स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन

अध्याय-1

शहरी स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

सरकार ने उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कारपोरेशन अधिनियम 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में अन्तिम पायदान तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को कार्यान्वित किया था। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले लोगों को बेहतर नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराना था। अग्रेतर चौहत्तरवें संविधान संशोधन (1992) ने शहरी स्थानीय निकायों में शक्तियों के विकेन्द्रीकरण, कार्यो एवं निधियों के अन्तरण तथा हस्तान्तरण का मार्ग प्रशस्त किया। परिणामस्वरूप, एक त्रिस्तरीय ढांचे, के अन्तर्गत नगर निगमों¹ (न.नि.), नगर पालिका परिषदें (न.पा.प.)² और नगर पंचायतों (न.पं.)³ को और अधिक विविधतापूर्ण जिम्मेदारियां हस्तांतरित की गयी। चौहत्तरवें संविधान संशोधन के प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिए उत्तर प्रदेश की विधायिका ने उत्तर प्रदेश शहरी स्थानीय स्वशासन कानून (संशोधन) अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया।

राज्य में 627 शहरी स्थानीय निकाय हैं जो कि समान्यतः पंचवर्षीय अवधि के लिए इसके चुने गये सदस्यों की निर्वाचित परिषद द्वारा शासित होते हैं। इन 627 शहरी स्थानीय निकायों के लिए अंतिम निर्वाचन वर्ष 2006 में हुआ था। शहरी स्थानीय निकायों की जनसंख्या की रूपरेखा निम्नवत थी:-

शहरी स्थानीय निकायों की संख्या और नाम	कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	औसत क्षेत्रफल / शहरी स्थानीय निकाय (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार)	शहरी स्थानीय निकायों की औसत जनसंख्या	जनसंख्या घनत्व ⁴
12 नगर निगम	1426.56	118.88	13149882	1095823.50	9217.90
194 नगर पालिका परिषद	1980.76	10.21	13398815	69066.06	6764.48
421 नगर पंचायतें	1700.42	4.04	6053844	14379.68	3560.21
योग 627 शहरी स्थानीय निकायें	5107.74	133.13	32602541	1179269.24	19542.59


¹ पाँच लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकाय को निरूपित करता है।

² 20 हजार एवं पाँच लाख के मध्य जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकाय को निरूपित करती है।

³ 20 हजार से कम जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकाय को निरूपित करती है।

⁴ शहरी स्थानीय निकायों की औसत जनसंख्या/वर्ग कि०मी० को निरूपित करती है।

1.2 शहरी स्थानीय निकायों का प्रशासनिक संगठन



जहाँ नगर निगम में महापौर प्रमुख होता है, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों का प्रमुख एक अध्यक्ष होता है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन निर्वाचित सदस्यों की समिति के माध्यम से करते हैं। नगर निगमों के मामलों में “नगर आयुक्त” और नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के मामलों में “अधिशायसी अधिकारी” प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।

1.3 वित्त पर डाटाबेस

ग्यारहवें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) द्वारा यह अनुशंसा की गयी थी कि शहरी स्थानीय निकायों के वित्त पर एक डाटाबेस जिला स्तर, राज्य और केन्द्र सरकार स्तर पर विकसित किया जाये जो कि कम्प्यूटर के माध्यम से आसानी से पहुंच में हो और वी-सैट⁵ के द्वारा इसे सम्बद्ध किया जाये। आकड़ों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित मानक प्रारूपों (2003) में एकत्र एवं समेकित किया जाना था। इसका उद्देश्य स्थानीय निकायों के कार्य निष्पादन को राज्यों के मध्य, केन्द्र सरकार स्तर पर तथा राज्य सरकार स्तर पर तुलना करने में सहायता पहुंचाना था।

डाटाबेस यद्यपि जून 2008 तक तैयार नहीं किया गया था एवं इस संदर्भ में शासन स्तर पर कार्यवाही प्रतीक्षित थी (जून 2008)।

शहरी स्थानीय निकायों के वित्त पर डाटाबेस तैयार न किये जाने से सरकार द्वारा राज्य में उनके कार्य निष्पादनों के आकलन तथा अन्य राज्यों के शहरी स्थानीय निकायों के कार्य निष्पादनों की तुलना नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त अनुदानों की अवमुक्ति में उनके वास्तविक आवश्यकता और भौतिक निष्पादनों का मूल्यांकन सुनिश्चित नहीं किया गया। बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों की वास्तविक वित्तीय आवश्यकताओं के आकलन हेतु डाटा बेस का रख रखाव आवश्यक था ताकि शहरी स्थानीय निकायों के वित्त के सम्बन्ध में सटीक सूचना रखी जाए जिससे उनकी जरूरतों का आवश्यकता आधारित मूल्यांकन किया जा सके।

1.4 कार्यों का हस्तान्तरण

74 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुपालन हेतु राज्य की विधायिका ने 18⁶ (संविधान की बारहवीं अनुसूची में शामिल) में से 13 क्रियाकलापों को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने के लिए कानून अधिनियमित किये और पांच⁷ कार्यक्रमों को अभी तक

⁵ वेशी स्माल अपचर टर्मिनल

⁶ शहरी नियोजन जिसमें नगरीय नियोजन सम्मिलित हैं, भवनों का निर्माण एवं भू-प्रयोग का विनियमन, सामाजिक एवं आर्थिक विकास का नियोजन, मार्ग एवं सेतु, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक एवं घरेलू उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति, शहरी स्वच्छता, संरक्षण एवं टोस अपशिष्ट प्रबन्धन, अग्निशमन सेवाएं, शहरी वानिकी पर्यावरण का संरक्षण एवं पारिस्थितिकी उन्नति, समाज के कमजोर वर्ग, विकलांग तथा मानसिक रूप से अक्षम लोगों के हितों की सुरक्षा, मलिन बस्ती का उन्नयन एवं उच्चीकरण, शहरी गरीबी उन्मूलन, शहरी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का प्राविधान जैसे- पार्क, बगीचा एवं खेलकूद का मैदान, शैक्षिक, संस्कृति एवं सौन्दर्य पक्ष का प्रोत्साहन, कब्रिस्तान, शमशान घाट एवं विद्युत शवदाह गृह, पशुशाला, पशुओं पर क्रूरता पर रोकथाम, मुख्य आंकिकी को सम्मिलित करते हुये जन्म, मृत्यु का पंजीकरण जन सुविधाओं को सम्मिलित करते हुये स्ट्रीट लाइट, बस अड्डा, पार्किंग एवं जन-यातायात, स्लाटर हाऊस एवं टेनरीज का विनियमितीकरण।

⁷ (i) शहरी नियोजन जिसमें नगरीय नियोजन सम्मिलित है, (ii) भवनों का निर्माण एवं भू-प्रयोग का विनियमन, (iii) मार्ग एवं सेतु, (iv) अग्निशमन सेवाएं, (v) शैक्षिक, संस्कृतिक एवं सौन्दर्यीकरण का प्रोत्साहन।

हस्तान्तरित किया जाना शेष था। इसके अतिरिक्त एक कार्यक्रम-वाहनों के लिए पार्किंग स्थान (संविधान की बारहवीं अनुसूची से परे) भी हस्तान्तरित किया गया। यद्यपि, मार्च 2008 तक 14 हस्तान्तरित कार्यक्रमों में से छः क्रियाकलापों के सापेक्ष न तो कार्य व नही कार्यकत्रियों और न ही निधियों को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित किया गया था।

इस प्रकार कार्य/क्रियाकलापों एवं निधियों के आंशिक हस्तान्तरण के कारण शहरी स्थानीय निकायों के क्रियाकलाप सीमित रहे।

1.5 राजस्व के स्रोत

राजस्व का प्रवाह

ग्यारहवें वित्त आयोग के अधिदेश के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को प्रथम बार वित्त आयोग के क्षेत्राधिकार में लाया गया। जिसका उद्देश्य राज्य सरकार की संचित निधि को शहरी स्थानीय निकायों के अनुपूरक संसाधनों हेतु वितरित करना था। तदनुसार बारहवें वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को उसके लिए अनुदानों को अवमुक्त किये जाने की सिफारिश की गई। राज्य सरकार ने भी अपने राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों को अवमुक्त किया। कुल मिलाकर शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व के स्रोत निम्नवत हैं:-

- ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान (अवधि 2000-05) एवं बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान (अवधि 2005-10)
- द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (2003) पर राज्य के कुल कर राजस्व प्राप्तियों के शुद्ध आगम का 7.5 प्रतिशत का अन्तरण।
- शहरी स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित कार्यो हेतु सम्बन्धित विभागों से निधियों का अन्तरण।
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने निजी स्रोतों से प्राप्त राजस्व, जैसे-कर, किराया, शुल्क, तहबाजारी⁸, टैक्सी स्टैंड आदि।

⁸ म्युनिसिपल सीमा के अन्तर्गत व्यापार एवं आजिविका पर कर

अनुदानों की सकल प्राप्तियाँ

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2004-07 की अवधि में ग्यारहवें वित्त आयोग, बारहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त किये गये अनुदान एवं अपने निजी स्रोतों से अर्जित की गयी सकल धनराशियां निम्नवत थी—

(रु० करोड़ में)

क्र. स.	वर्ष	ग्यारहवें एवं बारहवें वित्त आयोग	राज्य वित्त आयोग	निजी स्रोतों से प्राप्ति	योग
1	2004-05	22.79 (1.74%)	877.00 (66.84%)	412.33 (31.42%)	1312.12
2	2005-06	51.70 (3.59%)	911.25 (63.33%)	475.98 (33.08%)	1438.93
3	2006-07	103.40 (5.00%)	1518.00 (73.34%)	448.36 (21.66%)	2069.76
4	2007-08	310.20 (11.04%)	1838.43 (65.40%)	662.23 (23.56%)	2810.86
कुल योग—		488.09 (6.40%)	5144.68 (67.41%)	1998.90 (26.19%)	7631.67

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय लखनऊ)

सारणी के विश्लेषण से यह परिलक्षित होता है कि राज्य में वर्ष 2004-07 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। वर्ष 2004-05 की प्राप्तियों के सापेक्ष वर्ष 2005-06 में रु० 126.81 करोड़ की वृद्धि एवं वर्ष 2005-06 की प्राप्तियों के सापेक्ष वर्ष 2006-07 में रु० 630.83 करोड़ की वृद्धि थी। उक्त में राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदानों जिसका कुल प्राप्तियों में 67 प्रतिशत अंश था, इसका मुख्य योगदान था। तत्पश्चात् निजी स्रोतों के अंतर्गत प्राप्त आय थी, जिसका उसी समयावधि में 26 प्रतिशत अंश था।

राज्य वित्त आयोग-अनुदान का अन्तरण

द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार राज्य सरकार के कर राजस्व के निवल आगम का 7.5% शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरित किया जाना चाहिए। वर्ष 2004 से 2007 तक की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा अन्तरित निधियां एवं वास्तविक अवमुक्त निधियां निम्नवत थी—

(रु करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार के कर राजस्व का निवल् उत्पाद	अन्तरित की जाने वाली निधि	निधि जो वास्तव में अन्तरित की गयी	कम अवमुक्त (कम अवमुक्ति का प्रतिशत) (कालम 3-4)
2004-05	15693	1177	877	300(25)
2005-06	18858	1414	911	503(36)
2006-07	22998	1725	1518	207(12)
योग	57549	4316	3306	1010(23)

(स्रोत: निदेशक-शहरी स्थानीय निकाय, लखनऊ)

सारणी के विश्लेषण से यह परिलक्षित है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी वर्ष जैसे 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में कर राजस्व के शुद्ध आगम के 7.50 प्रतिशत निधियों का अंतरण नहीं किया तथा वर्ष 2005-06 में 36 प्रतिशत का सबसे कम अंतरण हुआ था।

निधियों के अन्तरण में कमी के कारण शहरी स्थानीय निकायों को उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जमीनी स्तर तक निवासियों को अच्छी जन-सुविधाओं को प्रदान करने से वन्धित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों को आत्म निर्भर होने का अवसर भी नहीं प्राप्त हुआ।

1.6 निधियों का उपभोग

ग्यारहवें वित्त आयोग, बारहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों का उपभोग

निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के आधार पर नीचे की तालिका ग्याहरवे एवं बारहवें वित्त आयोगों एवं द्वितीय राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2004-07 के दौरान उपलब्ध निधियों एवं उसके उपभोग की स्थिति दर्शाती है:

(रु करोड़ में)

अनुदान के नाम	वर्ष	उपलब्ध निधि	उपभोग की गयी निधि	उपभोग न की गयी निधि
ग्याहरवां वित्त आयोग	2004-05	22.79	22.79	—
बारहवां वित्त आयोग	2005-06	51.70	51.70	—
	2006-07	103.40	51.70	51.70
द्वितीय राज्य वित्त आयोग	2004-05	877.00	877.00	—
	2005-06	911.25	911.25	—
	2006-07	1518.00	1518.00	—

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय लखनऊ)

बारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के लिए अवमुक्त किया गया रू0 51.70 लाख का उपयोग नहीं किया जा सका था क्योंकि धनराशि वर्ष 2007-08 में अवमुक्त की गई थी।

निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा विश्वसनीय नहीं था। क्योंकि स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई गई निधियों को उनके द्वारा अग्रिम एवं व्यय विवरण की प्राप्ति के बाद अभिलेखों में उक्त को समायोजित करने के बजाय निदेशक स्थानीय निकाय के अभिलेखों में अंतिम व्यय के रूप में दर्शाया गया था।

निजी स्रोतों से वसूल किया गया राजस्व

शहरी स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रीय निवासियों से कर किराया व शुल्क आदि संग्रहण के द्वारा राजस्व का सृजन करना चाहिए था। तदनुसार शासन द्वारा उनके लिए राजस्व वसूली लक्ष्य निर्धारित (2004-07) किया गया। शहरी स्थानीय निकायों के लिए वर्ष 2004-07 के दौरान शासन द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य तथा उसके सापेक्ष उपलब्धि की स्थिति निम्नवत है:-

(रू करोड़ में)

शहरी निकायों के नाम एवं संख्या	2004-05		2005-06		2006-07	
	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)
12 नगर निगम	318.87	272.52(85)	261.52	299.88(115)	298.93	254.41(85)
194 नगर पालिका परिषद	147.73	116.83(79)	158.92	132.10(83)	161.90	116.73(72)
421 नगर पंचायत	52.28	22.98(44)	19.81	44.00(222)	19.81	77.22(390)
योग	518.88	412.33 (79)	440.25	475.98(108)	480.64	448.36(93)

(स्रोत: निदेशक शहरी स्थानीय निकाय)

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उनके स्रोतों से राजस्व वसूली हेतु निर्धारित लक्ष्य वास्तविक नहीं थे। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2004-07 के दौरान राजस्व वसूली में लक्ष्य के सापेक्ष कमी एवं अधिक उपलब्धि देखी गयी। वर्ष 2005-06 की अवधि में नगर निगमों के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ष में नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी थी। लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में कमी का कारण (नगर निगम: 15 प्रतिशत, 2004-05 और 2006-07 के दौरान और नगर पालिका परिषद: 2004-07 के दौरान 28 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक) सरकार द्वारा चुंगी/तेहबाजारी रद्द करना था। नगर पंचायतों द्वारा वर्ष 2005-07 की अवधि में राजस्व वसूली के लक्ष्य से 222 से 390 प्रतिशत अधिक

उपलब्धि प्राप्त की गयी। ऐसा स्टॉम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत की बकाया वसूली के कारण हुआ।

यह भी देखा गया कि 106 शहरी⁹ स्थानीय निकायों के नमूना जांच में से 48 शहरी¹⁰ स्थानीय निकायों ने वर्ष 2006-07 की अवधि में ₹0 151.20 करोड़ के करो आदि, की मांग की जिसमें ₹0 83.39 करोड़ की बकाया राशि भी सम्मिलित थी। ₹0 151.20 करोड़ की धनराशि में से ₹0 31.61 करोड़ की वसूली हुई एवं अवशेष ₹0 119.59 करोड़, बिना कारण के, वसूल नहीं किए गए थे (परिशिष्ट-1)। यह भी देखा गया कि वर्तमान मांग पूरी नहीं हो सकी थी जिसके परिणामस्वरूप बकाया इकट्ठा हो गया। जैसा कि शहरी स्थानीय निकायों के नमूना जांच में वसूल न किए गए बकायों का अवधि-वार विवरण उपलब्ध नहीं था इसलिए लेखापरीक्षा में लम्बित वसूली की आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया जा सका।

1.7 शहरी स्थानीय निकायों की समग्र वित्तीय स्थिति

जैसा कि पूर्व प्रस्तर 1.3 में उद्धृत है, शहरी स्थानीय निकायों के वित्त से सम्बन्धित डाटा बेस नहीं बनाये गये थे जिसके परिणामस्वरूप राज्य में शहरी स्थानीय निकायों की समग्र वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करने वाले मद प्रारम्भिक अवशेष, प्राप्तियां, व्यय तथा अन्तिम अवशेष सुनिश्चित नहीं किये जाने के कारण नहीं दिये जा सके।

वर्ष 2004-07 की अवधि के दौरान सम्प्रेक्षा में शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी (2004-05 : 100, 2005-06 : 105 एवं 2006-07 : 106) उनकी वित्तीय स्थिति नीचे दी जा रही है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त निधि	कुल उपलब्ध निधि	व्यय (कोष्ठक में प्रतिशत)	अन्तिम अवशेष
नगर निगम						
2004-05	5	39.05	302.97	342.02	287.47 (84)	54.55
2005-06	7	132.32	581.23	713.55	501.83 (70)	211.72
2006-07	7	211.72	605.50	817.22	595.48 (73)	221.74
नगर पालिका परिषद						
2004-05	38	27.48	98.16	125.64	92.40 (73)	33.24
2005-06	39	34.10	122.99	157.09	113.14 (72)	43.95
2006-07	39	43.95	124.01	167.96	126.32 (75)	41.64

⁹ नगर निगम : 7, नगर पालिका परिषद : 39 एवं नगर पंचायत : 60,

¹⁰ नगर निगम : 3, नगर पालिका परिषद : 16 एवं नगर पंचायत : 29

नगर पंचायत						
2004-05	57	11.47	25.82	37.29	23.14 (62)	14.15
2005-06	59	15.05	40.83	55.88	39.09 (70)	16.79
2006-07	60	17.20	49.63	66.83	51.37 (77)	15.46
योग					1830.24	

(स्रोत : सम्प्रेक्षित इकाईयों के निरीक्षण प्रतिवेदन)

यह संज्ञान में आया कि वर्ष 2004-07 के दौरान शहरी स्थानीय निकाय प्राप्त निधियों के सापेक्ष व्यय में गति कायम नहीं रख सके। उपलब्ध निधि के सापेक्ष व्यय के प्रतिशत नगर निगमों के मामले में 70 से 84, नगर पालिका परिषद के मामले में 72 से 75 तथा नगर पंचायतों के मामले में 62 से 77 तक रहे। परिणामस्वरूप प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में उनके पास भारी धनराशि व्यय न हाने के कारण के अवशेष पड़ी रही जो कि समयबद्ध तरीके से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, निधियों के उपभोग के लिए कमजोर नियोजन को प्रदर्शित करता है।

1.8 आन्तरिक नियन्त्रण

- नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों में बिलों की पूर्व जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार बिना पूर्व जांच के ही बिलों का भुगतान किया जा रहा था।
- उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल लेखा संहिता के नियम 67 में निहित शर्तों के अनुसार अधिशासी अभियंताओं और सहायक अभियंताओं द्वारा माप पुस्तिका में अंकित किये गये निर्माण कार्यों की क्रमशः 5 और 25 प्रतिशत तक की जांच/सत्यापन किया जाना था। शहरी निकायों की नमूना जांच में तथापि, पाया गया कि मापों की जांच एवं सत्यापन तदनुसार नहीं किया गया था।

1.9 बजट बनाना और बजटीय प्रक्रिया

यू.पी म्यूनिसिपल निगम अधिनियम, 1959 की धारा 146 एवं म्यूनिसिपल लेखा संहिता के नियम 104 के नीचे टिप्पणी-1 के अनुसार राज्य के प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिये वार्षिक बजट अनुमान तथा मासिक लेखा तैयार करना था। तथापि वर्ष 2006-07 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों की नमूना जांच में पाया गया कि नगर पंचायतों एवं नगर पालिका

परिषदों द्वारा ऐसा कोई बजट अनुमान एवं मासिक लेखा तैयार नहीं किया गया था।

अतः नगर पंचायतों एवं नगर पालिका परिषद द्वारा सांविधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुये बिना बजटरी नियंत्रण के व्यय किया गया था।

1.10 लेखाकंन व्यवस्थाएं

- **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित लेखा प्रारूप को अपनाना।**

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रोद्भूत आधार पर बजट एवं लेखा प्रारूप निर्धारित किया गया, जिसकी स्वीकृति के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार को प्रेषित किया था (जून 2003)। राज्य सरकार द्वारा इनकी स्वीकृति तथा निर्धारित प्रारूपों पर लेखाओं का रखरखाव प्रतीक्षित था (जून, 2008)।

निर्धारित प्रारूपों में लेखाओं का रख रखाव न किये जाने के कारण शहरी स्थानीय निकायों की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निर्धारण नहीं किया जा सका।

- **रोकड़ शेषों का मिलान न किया जाना।**

प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ बही की प्राप्तियों एवं व्ययों के प्रत्येक मदों का मिलान कोषागार/बैंकों के विवरणों से किया जाना चाहिए। यदि कोई अंतर हो तो उसका समाधान किया जाना चाहिए। तथापि, तीन नगर निगम, आठ नगर पालिका परिषदों एवं 23 नगर पंचायतों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि 31 मार्च 2007 तक रोकड़ बही एवं कोषागार/बैंक विवरणों के मध्य कुल रू0 22.66 करोड़ का असमाधानित अन्तर था (परिशिष्ट 2)। अन्तरों का समाधान न किये जाने की स्थिति में निधि के दुरुपयोग/ दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं को बढ़ाती थी।

1.11 लेखा परीक्षा व्यवस्थाएं

- उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 के उपबन्धों के अनुसार, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा हेतु प्राथमिक लेखा परीक्षक है। मानव शक्ति की कमी के फलस्वरूप शहरी, स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा वर्ष 2005-06 और 2007-08 के दौरान 4.33 से 6.58

प्रतिशत तक बकाया थी। लेखा परीक्षा की जाने वाली इकाईयों एवं वास्तव में लेखापरीक्षित इकाईयों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	लेखा परीक्षा की जाने वाली इकाईयों की संख्या	वास्तव में लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या	बकाया इकाईयां	बकाया प्रतिशत में
2005-06	623	596	27	4.33
2006-07	623	582	41	6.58
2007-08	623	586	37	5.94

(स्रोत : निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार)

- निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा दी गई सूचना (जून 2008) के आधार पर मार्च 2008 के अंत में बकाया प्रस्तरों तथा निस्तारित प्रस्तरों की स्थिति निम्नवत थी:-

इकाईयों का नाम	वर्ष 2007-08 तक प्रस्तरों की संख्या	वर्ष 2007-08 में निस्तारित प्रस्तरों की संख्या (कोष्ठक में प्रतिशत)	वर्ष के अंत में लम्बित प्रस्तरों की संख्या
नगर निगम	21543	06(0.03)	21537
नगर पालिका परिषद	148112	859(0.58)	147253
नगर पंचायत	137627	2206(1.60)	135421
योग	307282	3071(1.00)	304211

(स्रोत : निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार)

वर्ष 2007-08 की अवधि में प्रस्तरों के निस्तारण की स्थिति बहुत खराब थी क्योंकि स्थानीय निकायों द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने में अनिच्छा के कारण मात्र एक प्रतिशत प्रस्तर निस्तारित किये गये थे।

- उत्तर प्रदेश के निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 के नियम 8 (3) के उपबन्धों के अधीन निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा से अपेक्षित था कि वह शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को समेकित विवरण तैयार करके विधायिका के समक्ष रखने हेतु सरकार को प्रस्तुत करें। यह पाया गया कि जहां वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन बिना कोई कारण बताये वर्ष 2004-05 से बनाये नहीं गये थे वहीं मात्र 2001-02 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ही विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे।

1.12 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा, तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण, सौंपे जाने की स्थिति।

- ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं के सही ढंग से रख रखाव एवं उन पर लेखा परीक्षा हेतु तकनीकी मार्ग निर्देशन एवं पर्यवेक्षण भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को सौंपा गया। अक्टूबर 2001 में सरकार ने भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा का कार्य सौंप दिया।
- वर्ष 2007-08 के दौरान सात नगर निगमों, 39 नगर पालिका परिषदों तथा 60 नगर पंचायतों की वर्ष 2006-07 की लेखा परीक्षा की गयी और कमजोर वित्तीय प्रबन्धन एवं वित्तीय अनियमितताओं के परिणामस्वरूप निष्फल एवं अधिक व्यय सम्बन्धी अनियमितताओं, निधियों के व्ययवर्तन तथा राजस्व-क्षति आदि पर 1297 प्रस्तर इकाईयों के कार्यालयाध्यक्षों एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा को भेजे गये थे। यद्यपि इन प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रतीक्षित थी।

1.13 अन्य बिन्दु

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा

वर्ष 2001-2006 तक की अवधि के लिए फरवरी 2000 में गठित द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने 107 अनुशंसायें मुख्यतः शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के निवल कर उत्पाद का निर्धारित हिस्सा स्थानान्तरित किये जाने, जिला योजना समिति के गठन द्वारा उनके संसाधनों में लाइसेंस फीस आदि के माध्यम से वृद्धि करने तथा ई-गवर्नेन्स एवं स्थानीय निकायों में कम्प्यूटरीकरण लागू करने जैसे मुद्दों पर की थी। जिला योजना समितियों को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु तैयार किए गए विकास योजना को पूरे जिले के लिए अनुमोदित भी करना था।

यह देखा गया कि सरकार ने 74 अनुशंसाओं को पूर्ण रूप से एवं 12 को आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा शेष 21 अनुशंसाओं, जो कि मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति कर का अधिरोपण किये जाने, भू-राजस्व की दरों का पुनरीक्षण तथा शहरी स्थानीय निकायों की आय में लाइसेन्स आदि के द्वारा वृद्धि किये जाने से सम्बन्धित थी, को स्वीकार नहीं किया।

1.14 निष्कर्ष

इस प्रकार सरकार ने जहां एक तरफ द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर कर राजस्व के 7.5 प्रतिशत आगम को शहरी स्थानीय निकायों को नहीं सौंपा वहीं दूसरी तरफ उन्हें उपलब्ध करायी गयी निधियों का कम उपयोग हुआ फलतः भारी मात्रा में धनराशियां पड़ी थी जिससे उनके क्षेत्राधिकार में निवास करने वाली जनता मूलभूत नागरिक सुविधाओं से वंचित रही। वित्तीय आंकड़े भी विश्वसनीय नहीं थे, क्योंकि न तो डाटाबेस विकसित किया गया था न ही राज्य स्तर पर निधियों के उपयोग का संकलन किया गया था। निर्धारित प्रारूप में लेखाओं के रख रखाव न किये जाने के कारण शहरी स्थानीय निकायों के परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की स्थिति भी उपलब्ध नहीं की।

1.15 संस्तुतियाँ

- शासन स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों को उनकी जरूरतों का आवश्यकता आधारित निर्धारण करने हेतु वित्त पर डाटाबेस विकसित करने हेतु सरकार को प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए।
- सरकार को द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को निधियों के अंतरण हेतु निर्धारित मानकों को अपनाना चाहिये।
- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी स्थानीय निकाय भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित बजट एवं लेखा प्रारूपों को अंगीकार करें।
- शहरी स्थानीय निकायों, को निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के प्राथमिक लेखापरीक्षा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के तकनीकी दिशा निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में तैयार निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति अनुकियाशील बनाया जाना चाहिए।

अध्याय-2
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय –II

निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन

2.1.1 परिचय

भारत सरकार द्वारा जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क तंत्र, शहरी परिवहन एवं शहर के पुराने क्षेत्रों के पुनर्विकास, उद्योगों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं को उनके अनुरूप क्षेत्रों में स्थानांतरित करने, सामुदायिक सहभागिता तथा नागरिकों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों की जबाबदेही से सम्बन्धित शहरी अवस्थापन परियोजनाओं में दक्षता को प्रमुखता देते हुये चिन्हित शहरों के योजनाबद्ध विकास हेतु राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) की शुरुआत की गयी (दिसम्बर 2005)। जे.एन.एन.यू.आर.एम. का यह भी उद्देश्य था कि भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आइ.एस.) एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आइ.एस.) हेतु ई-गवर्नेन्स, शहरी गरीब को आधारभूत सेवाएँ हेतु निधि को चिन्हित करना, आदि में सुधार किया जाए। शहरी स्थानीय निकायों एवं पैरा-स्टैटल एजेन्सियों जैसे- विकास प्राधिकरणों, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, परिवहन विभाग आदि को अपनी गतिविधियों से सम्बन्धित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) निदेशक, स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्य सरकार को और फिर भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु तैयार करने की आवश्यकता थी।

भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्तर पर अन्य सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक स्टेट लेवल स्टेरिंग केमटी का गठन किया गया था जो जे.एन.एन.यू.आर.एम. में सम्मिलित करने हेतु डी.पी.आर. की समीक्षा एवं प्राथमिकता का निर्धारण करता है। निदेशक, स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टैटल एजेन्सियों द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. की जाँच एवं कार्यकारी परियोजनाओं के अनुश्रवण के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (एस.एल.एन.ए.) के रूप में नामित किया गया था।

2.1.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रणाली

शहरी स्थानीय निकायों के वर्ष 2005-08 के अभिलेखों में सात¹ में से पांच शहरी स्थानीय निकायों—आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी जहाँ पर यह योजना कार्यान्वित थी एवं इन स्थानों पर उत्तर प्रदेश जल निगम (जे0एन0) इकाइयों की जांच की गयी थी तथा मई-जून 2008 की अवधि में एस.एल.एन.ए से सूचनाएँ संकलित की गयी थी।

2.1.3 निधि आवंटन प्रारूप

सात चिन्हित शहरों में से छः² शहरों में प्रत्येक परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों/पैरा-स्टैटल एजेन्सियों द्वारा क्रमशः 20 और 30 प्रतिशत के अनुपात में दिया जाना था। सातवें के लिए यानि चिन्हित मथुरा शहर में भारत सरकार द्वारा दिया गया अंश 80 प्रतिशत तथा राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टैटल एजेन्सी द्वारा 10-10 प्रतिशत का योगदान किया गया था।

2.1.4 निधियों की अवमुक्ति

भारत सरकार को राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों के साथ, परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उनकी प्रतिबद्धता दर्शाने वाले मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एम0ओ0ए0) हस्ताक्षर करने पर प्रथम किस्त के रूप में परियोजना लागत में अपने अंश का 25 प्रतिशत अवमुक्त करना था। केन्द्रीय अंश की प्राप्ति के बाद राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों को उनके अंश परियोजना खाता में जमा करना था। इस प्रकार परियोजना खाता में जमा धनराशि को एस0एल0एन0ए0 के द्वारा निर्दिष्ट शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त किया जाना था। अंततः शहरी स्थानीय निकायों को परियोजनाओं के निष्पादन हेतु कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध करानी थी। भारत सरकार पहली किस्त के 70 प्रतिशत तक की धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्रों की प्राप्ति एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में सुधार लागू करने की उपलब्धि की शर्तों के अधीन केन्द्रीय सहायता की अवशेष धनराशि तीन किस्तों में अवमुक्त करेगी।

¹ आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी एवं मथुरा

² आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी

2.1.5 वित्तीय परिव्यय

अक्टूबर 2007 से मार्च 2008 की अवधि में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं एवं एस.एल.एन.ए. द्वारा स्थानीय निकायों को अवमुक्त की गई धनराशियों तथा उनके सापेक्ष व्यय का विस्तृत विवरण निम्नवत है:-

(रु० करोड़ में)

मद	शहर	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं		केन्द्रांश अवमुक्ति की तिथि	एस.एल.एन.ए. के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त की गयी धनराशि		व्यय	मार्च 2008 तक का अवशेष
		अवधि	लागत		अवधि	लागत		
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस०डब्लू०एम०)	सात ³	दिसम्बर 2006 से फरवरी 2008	241.60	जनवरी 2007 से मार्च 2008 तक	अक्टूबर 2007 से मार्च 2008	40.38	शून्य	40.38
जल आपूर्ति	छः ⁴	जुलाई 2007 से फरवरी 2008	1221.98	अगस्त 2007 से मार्च 2008	फरवरी 2008 से मार्च 2008	160.28	42.62	117.66
सिचवरेज	तीन ⁵	सितम्बर 2007 से दिसम्बर 2007 तक	448.71	अक्टूबर 2007 से जनवरी 2008	मार्च 2008	60.90	8.31	52.59
योग	16		1912.29			261.56	50.93	210.63

भारत सरकार, राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों ने कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत की पहली किस्त के रूप में रु 468.90 करोड़ (भारत सरकार : रु 232.25 करोड़, राज्य सरकार: रु 92.35 करोड़ एवं शहरी स्थानीय निकाय: रु 144.30 करोड़) एस.एल.एन.ए. को दिया (जनवरी 2007 से मार्च 2008)। तथापि एस.एल.एन.ए. ने मार्च 2008 तक सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकायों को मात्र रु 261.56 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की थी। सारणी से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अक्टूबर 2007 से मार्च 2008 के मध्य धनराशि अवमुक्त की गई थी, फिर भी मार्च 2008 तक कोई व्यय नहीं किया गया था। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत व्यय न किया जाना एवं अन्य दो संघटकों में कमी के विस्तृत कारणों को उत्तरवर्ती प्रस्तारों में दिया गया है।

³ आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी एवं मथुरा

⁴ आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी

⁵ आगरा, कानपुर एवं लखनऊ

2.1.6 नियोजन

शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टैटल एजेन्सियों को 9 संघटकों से सम्बन्धित आधारभूत अवस्थापन आवश्यकताओं के आधार पर किए गए सर्वेक्षण के बाद डी.पी.आर. तैयार करने की आवश्यकता थी। तदनुसार उन्होंने 32 परियोजनाओं से सम्बन्धित डी.पी. आर. तैयार किया तथा राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्तुत किया (दिसम्बर 2006 से नवम्बर 2007) जैसे कि निम्नवत है:-

क्रम सं०	संघटकों के नाम	नगर निगम द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी परियोजनाओं की संख्या							
		आगरा	इलाहाबाद	कानपुर	वाराणसी	मेरठ	लखनऊ	मथुरा	योग
1	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1	1	1	1	1	3	—	8
2	सिवरेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	2	2	2	1	2	5	1	15
3	ड्रेनेज	1	—	1	1	—	3	—	6
4	शहरी परिवहन प्रणाली	—	—	1	—	—	—	—	1
5	शहर के आन्तरिक क्षेत्रों का पुर्न-विकास	—	—	1	—	—	—	—	1
6	पार्किंग स्थान	—	—	—	—	—	—	—	—
7	हेरिटेज एरिया का विकास	—	—	1	—	—	—	—	1
8	मृदा क्षरण आदि का रोक एवं पुनः स्थापन	—	—	—	—	—	—	—	—
9	जलीय जन्तुओं का संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—
योग		4	3	7	3	3	11	1	32

भारत सरकार द्वारा रु 1,912.29 करोड़ की लागत से सिवरेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (10 परियोजनाएं) तथा जल आपूर्ति (6 परियोजनाएं) से सम्बन्धित 16 परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए अनुमोदित किया गया (दिसम्बर 2006 से फरवरी 2008) एवं 25 प्रतिशत की पहली किस्त के रूप में रु 232.25 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई (जनवरी 2007 से मार्च 2008)। भारत सरकार द्वारा शेष 16 डी.पी.आर. अनुमोदित नहीं हुईं

क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत किया गया विभिन्न संघटकों के परियोजनाओं को एकाधिक चरण में आरम्भ होना था जबकि भारत सरकार की वांछना थी कि एक संघटक के लिए मात्र एक समेकित परियोजना तैयार और प्रस्तुत की जाये। ड्रेनेज परियोजनाएं सम्बन्धित शहरों के वर्षा आँकड़ों के अभाव में लौटा दी गई थीं। ये परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को संशोधन हेतु लौटा दी गयी थी (फरवरी 2007 से नवम्बर 2007) एवं जून 2008 तक शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टैटल एजेन्सियों द्वारा पिछले 7 से 16 महीनों से संशोधित की जा रही थी।

इन शहरी स्थानीय निकायों ने क्रम सं०-04 से 9 में स्थित संघटकों से संबंधित कोई परियोजना का प्रारूप तैयार नहीं किया था, सिवाय नगर निगम कानपुर के, जिसने शहरी परिवहन प्रणाली, शहर के आंतरिक क्षेत्रों का पुनर्विकास एवं हेरिटेज एरिया के लिए तीन परियोजनाएं तैयार की थी। यह इस ओर इंगित करता है कि शहरी स्थानीय निकायों/पैरा-स्टैटल एजेन्सिया डी.पी.आर. तैयार करने एवं उन्हें अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने में मंद थी।

2.1.6.1 उचित सर्वेक्षण के बिना डीपीआर तैयार करना

भारत सरकार द्वारा नगर निगम, लखनऊ के लिए रु 388.61 करोड़ की लागत से जल आपूर्ति परियोजना की स्वीकृति दी गई (सितम्बर 2007)। इस परियोजना में कुर्मान्चल नगर लिबर्टी कालोनी में बिटुमिनस सड़कों के नीचे जल आपूर्ति पाइप लाइन बिछाना भी सम्मिलित था। डी.पी.आर. में 5563.47 वर्गमी⁶ की बिटुमिनस सड़क के पुनर्स्थापन हेतु रु 58 लाख का प्रावधान था। नमूना जांच (मई 2008) के समय यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा नगर निगम लखनऊ को बिटुमिनस सड़कों के पुनर्स्थापन हेतु रु 16.37 लाख तथा 648 वर्गमी⁷ की नार्न-बिटुमिनस सड़कों के पुनर्स्थापन हेतु रु 4 लाख का भुगतान किया गया (मार्च 2008)। इंगित करने पर, जल निगम द्वारा बताया गया (मई 2008) कि खड़न्जा सड़कों के नीचे जहाँ भी सम्भव था, पाइप लाइन बिछाये जाने के कारण धनराशि का विचलन हुआ एवं तदनुसार नगर निगम को भुगतान किया गया था।

अतः बिना उचित सर्वेक्षण के डी पी आर तैयार करने का यह प्रमाण था।

⁶ वितरण प्रणाली (3977.47 m²) एवं राइसिंग मेन (1586.00 m²)

⁷ इंटरलॉकिंग (180 वर्ग मी. @ रु 915 प्रति वर्ग मी.) एवं खरंजा (468 वर्ग मी. @ रु 450 प्रति वर्ग मी.)

2.1.7 भौतिक उपलब्धि

2.1.7.1 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाएं

भारत सरकार ने नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में रु 209.09 करोड़ की लागत से पांच ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाएं स्वीकृत (मार्च 2007— फरवरी 2008) किए जैसा कि निम्नवत है:—

(रु0 करोड़ में)

शहर का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं		केन्द्रीय अंश के अवमुक्त की अवधि	मार्च 2008 तक एस.एल.एन.ए. के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त की गयी धनराशि		किया गया व्यय	31 मार्च 2008 तक का अवशेष
	अवधि	लागत		अवधि	लागत		
लखनऊ	मार्च 2007	42.92	मार्च 2007 से अगस्त 2007	नवम्बर 2007	10.73	शून्य	10.73
आगरा	मार्च 2007	30.84	मार्च 2007 से अगस्त 2007	अक्टूबर 2007 से जनवरी 2008	7.46	शून्य	7.46
कानपुर	मार्च 2007	56.24	मार्च 2007 से अगस्त 2007	जनवरी 2008	14.06	शून्य	14.06
वाराणसी	अक्टूबर 2007	48.68	दिसम्बर 2007	—	—	—	—
इलाहाबाद	फरवरी 2008	30.41	मार्च 2008	—	—	—	—
योग		209.09			32.25	शून्य	32.25

ये परियोजनाएं घर-घर से ठोस अपशिष्ट संकलित करने, उसे अलग करने तथा अवशेष अपशिष्ट शोधन एवं निस्तारण बिन्दु तक परिवहन करने से सम्बन्धित थी तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृति तिथि से 12 माह के भीतर इन्हें पूरा करना था। राज्य सरकार ने तथापि अपना अंश एक से नौ माह विलम्ब से अवमुक्त किया। एस.एल.एन. ने शहरी स्थानीय निकायों को अग्रेत्तर विलम्ब से धनराशि अवमुक्त किया (अक्टूबर 2007 से अप्रैल 2008)। एस.एल.एन.ए. द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को धनराशि अवमुक्त करने में कुल विलम्ब भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त करने की तिथि से दो से ग्यारह माह के मध्य रहा।

राज्य सरकार ने 5 शहरों⁸ के संदर्भ में भी कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम का नामांकन (दिसम्बर, 2007) भी भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन तिथि से 12 माह विलम्ब से किया।

भारत सरकार, राज्य सरकार एवं सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मार्च 2007 से मार्च 2008 की अवधि में एस.एल.एन.ए. को रु 49.74 करोड़ (परियोजना लागत का 25%) के अपने अंश दिए सिवाय नगर निगम इलाहाबाद जिसने रु 2.28 करोड़ का अपना अंश अवमुक्त नहीं किया था एवं नगर निगम आगरा ने मार्च 2008 तक अपने अंश में रु 0.25 करोड़ कम दिये। एस.एल.एन.ए. ने अपनी बारी में अक्टूबर 2007 से जनवरी 2008 के दौरान 3 शहरी स्थानीय निकायों⁹ को मात्र रु 32.25 करोड़ स्थानांतरित किये। नगर निगम वाराणसी को कोई धनराशि स्थानांतरित नहीं की गई थी। नगर निगम इलाहाबाद को धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी क्योंकि उसके द्वारा मार्च 2008 तक परियोजना हेतु कोई योगदान नहीं दिया गया था। शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमनू जांच में पाया गया कि इन इकाईयों द्वारा मार्च 2008 तक निम्नलिखित कारणों से व्यय नहीं किया गया था।

- (i) निस्तारण एवं शोधन हेतु कार्यदायी संस्थाओं को भूमि भरण क्षेत्र उपलब्ध कराया जाना था किन्तु नगर निगम, लखनऊ एवं कानपुर ने जल निगम को कोई भूमि भरण क्षेत्र उपलब्ध नहीं कराया था।
- (ii) जल निगम ने आगरा में अनुरक्षण खण्ड, जल निगम को प्रारम्भिक रूप से कार्य आबंटित किया (जनवरी 2008)। तदनुसार नगर निगम, आगरा ने कार्य सम्पादन हेतु उस खण्ड को रु 7.19 करोड़ स्थानांतरित किये। इसी बीच जल निगम ने निर्णय लिया (मई 2008) कि आगरा सहित सभी पांच शहरों में कार्य निर्माण एवं अभिकल्प सेवाएँ (सी.एण्ड डी.एस.) द्वारा निष्पादित किया जाएगा तथा अनुरक्षण खण्ड से सी.एण्ड डी.एस. इकाई को कार्य स्थानांतरित करने का आदेश दिया। हालांकि अनुरक्षण विभाग ने जून 2008 तक सी.एण्ड डी.एस. को धनराशि स्थानांतरित नहीं की थी, परिणास्वरूप, सी एण्ड डी एस इकाई द्वारा जून 2008 तक परियोजना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा जल निगम को भूमि भरण क्षेत्र उपलब्ध कराई गयी थी किन्तु भूमि का स्वामित्व विवादास्पद था।

⁸ आगरा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एवं मथुरा

⁹ लखनऊ, आगरा एवं कानपुर

अतः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं पांच नमूना जांच शहरों में से किसी में भी प्रारम्भ नहीं हो सकी थी क्योंकि (i) राज्य सरकार / एस.एल.एन.ए. द्वारा धनराशि के अवमुक्त में विलम्ब (ii) राज्य सरकार द्वारा कार्यदायी संस्था के चयन में विलम्ब एवं (iii) भूमि की अनुपलब्धता इसके कारण थे।

2.1.7.2 जल आपूर्ति

भारत सरकार द्वारा जीर्ण-शीर्ण हुए पानी की पाइपों को नए/उच्च क्षमता वाले पाइपों से प्रतिस्थापित करने हेतु नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में रु 942.98 करोड़ की लागत से पांच जल आपूर्ति परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया (जुलाई 2007 से फरवरी 2008)। की गयी शहरी स्थानीय निकायों की नमूना जांच में परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति निम्नवत थी—

(रु करोड़ में)

शहर का नाम	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं		केन्द्रीय अंश के अवमुक्त की तिथि	मार्च 2008 तक एस.एल.एन.ए. के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त की गयी धनराशि		व्यय	31 मार्च 2008 तक का अवशेष
	अवधि	लागत		अवधि	धनराशि		
इलाहाबाद	जुलाई 2007	89.69	अगस्त 2007	फरवरी 2008	22.42	7.57	14.85
वाराणसी	अगस्त 2007	111.02	अगस्त 2007	फरवरी 2008	27.76	10.31	17.45
लखनऊ	सितम्बर 2007	388.61	अक्टूबर 2007	मार्च 2008	70.80	20.15	50.65
कानपुर	अक्टूबर 2007	270.95	दिसम्बर 2007	मार्च 2008	39.30	2.50	36.80
आगरा	फरवरी 2008	82.71	मार्च 2008		0.00	0.00	0.00
योग		942.98			160.28	40.53	119.75

भारत सरकार (रु 111.10 करोड़) राज्य सरकार (रु 44.44 करोड़) एवं सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकायों (रु 90.45 करोड़) द्वारा अगस्त 2007 से मार्च 2008 तक अपने अंशों का रु 245.99 करोड़ का योगदान एस.एल.एन.ए. को दिया गया। तथापि एस.एल.एन.ए. ने शहरी स्थानीय निकायों को योगदान के सापेक्ष रु 160.28 करोड़ की धनराशि चार से सात माह विलम्ब से अवमुक्त (फरवरी-मार्च 2008) किए एवं रु 85.71 करोड़ का अवशेष धनराशि 31 मार्च, 2008 तक अवरुद्ध रखा था। नगर निगम आगरा को 31 मार्च 2008

तक कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई थी। शहरी स्थानीय निकायों ने ₹ 160.28 करोड़ की धनराशि में से ₹ 117.76 करोड़ परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जल निगम को मार्च 2008 तक अवमुक्त किए।

अग्रेतर नमूना जांच की गयी शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों से पता चलता है कि:-

- (1) नगर निगम कानपुर ने परियोजना के निष्पादन हेतु जल निगम को ₹ 30 करोड़ अवमुक्त किए (मार्च 2008)। इकाई ने परियोजना के निष्पादन के बजाय ₹ 23 करोड़ मियादी जमा में निवेश (मार्च 2008) किया तथा इस पर अर्जित किया गया ₹ 0.51 लाख का ब्याज लखनऊ स्थित मुख्यालय में स्थापना व्ययों को पूरा करने हेतु प्रेषित किया (अप्रैल 2008)। नगर निगम की मांग के आधार पर जल निगम को सड़क पुर्नस्थापना हेतु नगर निगम को शुल्क का भुगतान करना था किन्तु जल निगम द्वारा नगर निगम, कानपुर को ₹ 2.50 करोड़ (मार्च 2008) का भुगतान बिना किसी मांग के किया गया एवं उस धनराशि को उपयोगित समझा गया था।

2.1.7.3 सीवरेज परियोजनाएं

नमूना जांच की गयी शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति निम्नवत थी:-

(₹ करोड़ में)

शहर का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं		केन्द्रीय अंश के अवमुक्ति का माह	मार्च 2008 तक एस.एल. एन.ए. के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त की गयी धनराशि		व्यय	31 मार्च 2008 तक का अवशेष
	माह	लागत		माह	धनराशि		
लखनऊ	सितम्बर 2007	236.23	अक्टूबर 2007	मार्च 2008	43.04	11.00	32.04
कानपुर	दिसम्बर 2007	190.88	जनवरी 2008	मार्च 2008	13.92	4.50	9.42
आगरा	अक्टूबर 2007	21.60	दिसम्बर 2007	मार्च 2008	3.94	0.80	3.14
योग		448.71			60.90	16.30	44.60

भारत सरकार (₹ 56.09 करोड़), राज्य सरकार (₹ 22.43 करोड़) एवं सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों (₹ 18.26 करोड़) द्वारा अक्टूबर 2007 से मार्च 2008 तक अपने अंश का

रु 96.78 करोड़ एस.एल.एन.ए. को दिया गया । तथापि एस.एल.एन.ए. ने शहरी स्थानीय निकायों को मार्च 2008 में रु 60.90 करोड़ अवमुक्त किए एवं रु 35.88 करोड़ की अवशेष धनराशि 31 मार्च 2008 तक अवरुद्ध रखा था । नगर निगम लखनऊ (रु 4.81 करोड़), कानपुर (रु 10.15 करोड़) एवं आगरा (रु 0.44 करोड़) द्वारा रु 15.40 करोड़ कम धनराशि का योगदान किया गया था।

रु 60.90 करोड़ की उपलब्ध धनराशि में से शहरी स्थानीय निकायों ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मार्च 2008 तक रु 31.00 करोड़ जल निगम को अवमुक्त किए । तथापि जल निगम ने मार्च 2008 तक मात्र रु 16.30 करोड़ व्यय किए।

2.1.8 सुधारों का क्रियान्वयन न होना

शहरी शासन में सुधार को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों को भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों की द्वितीय एवं उत्तरवर्ती किस्तों की प्राप्ति के लिए एक निश्चित समय सीमा में नीचे दिये गये 13 अनिवार्य सुधारों एवं 10 वैकल्पिक सुधारों (परिशिष्ट -3) को लागू करने की आवश्यकता थी।

क्रमांक	सुधार का नाम	सुधार का स्तर
1	74 वें संविधान संशोधन अधिनियम में निहित विकेन्द्रीकरण उपायों का क्रियान्वयन	राज्य स्तर पर
2	शहर नियोजन का स्थानान्तरण-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता तथा जन परिवहन क्रियाकलाप	
3	किराया नियंत्रण में सुधार	
4	स्टाम्प शुल्क का युक्तीकरण	
5	शहरी भूमि के सीलिंग एवं विनियमन अधिनियम को रद्द करना।	
6	नागरिक सहभागिता को संस्थागत बनाने हेतु सामुदायिक सहभागिता का अधिनियमन।	
7	सभी स्टेक होल्डरों को सूचना देने के लिए जन प्रकटन विधि का अधिनियमन	
8	लेखाकरण के प्रोद्भवन आधारित दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में बदलना	शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर
9	सम्पत्ति कर का सुधार	
10	जल आपूर्ति एवं ठोस अपशिष्ट की लागत का सौ प्रतिशत वसूली	
11	शहरी गरीबों को सेवाओं को प्रदान करने हेतु धनराशियों का आंतरिक चिन्हीकरण।	
12	शहरी गरीब को आधारभूत सेवाओं का प्रावधान	
13	अनुश्रवण हेतु ई-गवर्नेंस की व्यवस्था	

उपरोक्त में से राज्य सरकार¹⁰ एवं सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकायों¹¹ को मार्च 2008 तक तीन-तीन सुधार कार्यक्रमों को लागू करना था। इसके अतिरिक्त दोनों को मार्च 2008 तक दो वैकल्पिक सुधारों¹² को लागू करना था। तथापि राज्य सरकार द्वारा मार्च 2008 तक कोई सुधार कार्यक्रम लागू नहीं किया गया था एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मई 2008 तक मात्र एक सुधार जिसका नाम शहरी गरीबों को सेवाओं हेतु धनराशियों का आंतरिक चिन्हिकरण ही लागू किया गया था।

राज्य सरकार के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सुधार कार्यक्रम लागू न करने के कारण भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान की अगली किस्त अवमुक्त नहीं की गयी जैसा कि मेमोरंडम ऑफ एग्रीमेन्ट में निहित था, जिसमें पहले से ही शुरू हुई परियोजनाओं का क्रियान्वयन बाधित हुआ। अग्रेत्तर सुधार कार्यक्रम न लागू होने के कारण शहरी शासन में सुधार करने का उद्देश्य अपूर्ण रहा।

2.1.9. अनुश्रवण

राज्य स्तर पर एस.एल.एन.ए. को राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्तुत करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टैटल एजेन्सियों द्वारा तैयार डी.पी.आर. की प्रगति, अनुमोदित परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं सुधारों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना था। यद्यपि शहरी स्थानीय निकायों तथा पैरास्टैटल एजेन्सियों को भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु सभी नौ संघटकों पर डी.पी.आर. तैयार करने की आवश्यकता थी परन्तु जून 2008 तक शहरों के विकास को चिन्हित करने के लिए उन्होंने 9 संघटकों में से 7 से संबंधित केवल 32 परियोजनाएं प्रस्तुत किए। इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा छः संघटकों जैसे : (1) शहरी परिवहन तंत्र, (2) आंतरिक शहर क्षेत्र का पुनर्विकास (3) पार्किंग स्पेस, (4) हेरीटेज एरिया का विकास (5) मृदा अपरदन रोक थाम एवं पुनर्वास एवं (6) जलीय जंतुओं के संरक्षण से सम्बन्धित कोई परियोजना तैयार नहीं की गयी थी, सिवाय नगर निगम कानपुर के जिसने 3 परियोजनाएं (प्रत्येक के लिए एक) (1) शहरी परिवहन तंत्र, (2) आंतरिक शहर क्षेत्र का पुनर्विकास एवं

¹⁰ (i) नागरिक सहभागिता संस्थागत बनाने हेतु सामुदायिक सहभागिता अधिनियम लागू करना (ii) संविधान के 74 वें संशोधित अधिनियम के अनुसार विकेन्द्रीयकरण उपायों का क्रियान्वयन (iii) सभी स्टैक होल्डरों को सूचना देने के लिए जन प्रकटन का अधिनियमन।

¹¹ (i) अनुश्रवण हेतु ई - गवर्नेंस की स्थापना (ii) शहरी गरीबों की सेवाओं हेतु धनराशियों को आंतरिक चिन्हिकरण (iii) लेखांकन को प्रोद्भूत आधार पर दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में स्थानांतरित करना।

¹² (i) ढाचागत सुधार एवं (ii) सार्वजनिक- निजी सहभागिता को प्रोत्साहन।

(3) हेरीटेज एरिया तैयार की थी। यह संकेतित करता है कि शहरी स्थानीय निकाय/पैरा-स्टैटल एजेन्सियों शहरी क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए सभी संघटकों को आच्छादित कर डी.पी.आर. की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण में मंद थी। तथापि एस.एल.एन.ए. ने इन एजेन्सियों द्वारा डी.पी.आर. की तैयारी की गति को बढ़ाने हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। यहाँ तक कि जहाँ भारत सरकार द्वारा डी.पी.आर. लौटा दी गई थी एवं संशोधन हेतु सुझाव देने के लगभग 7 से 16 माह बाद भी इन एजेन्सियों द्वारा संशोधित एवं प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

2.1.10. निष्कर्ष

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना 2005-12 की अवधि हेतु वर्ष 2005 में शुरू की गई थी। तथापि, यह योजना कार्यान्वयन स्तर तक नहीं पहुँच सकी थी क्योंकि शहरों के समेकित विकास के लिए योजना के सभी संघटकों को आच्छादित नहीं किया गया था। डी.पी.आर. की तैयार एवं प्रस्तुतिकरण/पुनर्प्रस्तुतीकरण में विलम्ब तथा दो वर्ष छः माह व्यतीत होने के बाद भी अप्रभावी अनुश्रवण से योजना में निहित सुविधाओं से शहरी स्थानीय निकाय वंचित रहे। राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निश्चित समय सीमा में सुधार कार्यक्रम लागू नहीं किया गया था जिससे द्वितीय एवं उत्तरवर्ती किस्तों को पाने से वे वंचित हो गए।

2.1.11. संस्तुतियाँ

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि –

- शहरों के समेकित विकास के लिए सभी संघटकों हेतु परियोजनाएं लागू की जानी चाहिये।
- शहरी स्थानीय निकायों को समय पर भारत सरकार को डी.पी.आर. प्रस्तुत/पुनर्प्रस्तुत करना चाहिये।
- कार्यदायी संस्था तक बिना विलम्ब किए निधियाँ पहुँचायी जाए।
- राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों को निर्धारित समय में प्रतिबद्ध सुधारों को लागू करने चाहिये।
- परियोजनाओं का प्रत्येक स्तर पर तैयारी एवं निष्पादन के लिए प्रभावकारी अनुश्रवण प्रणाली विकसित की जाए।

2.2 बारहवाँ वित्त आयोग अनुदान-शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपभोग

2.2.1. परिचय

बारहवाँ वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) वर्ष 2005-10 की अवधि के लिए अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) के संसाधनों के अनुपूरण के लिए राज्य की समेकित निधि में संवर्धन के उपायों की आवश्यकताओं की सिफारिशों के लिए नियुक्त किया गया था (नवम्बर 2002)।

टी.एफ.सी. ने वर्ष 2005-10 की अवधि को आच्छादित करते हुए अपनी रिपोर्ट दिनांक 30 नवम्बर 2004 को प्रस्तुत किया एवं शहरी स्थानीय निकायों हेतु भारत सरकार से रु 5000 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने की सिफारिश की। उपरोक्त धनराशि में से उत्तर प्रदेश को रु 517 करोड़ (10.34 प्रतिशत) आवंटित किया गया था जिसे दस बराबर किशतों में अवमुक्त किया जाना था। इस धनराशि का व्यय शहरों/कस्बों में आधारभूत नागरिक सुविधाओं के सुधार हेतु किया जाना था।

वर्ष 2005-08 की अवधि के लिए टी.एफ.सी. के अनुदानों के अवमुक्त करने एवं उसके उपभोग से सम्बंधित अभिलेखों की कार्यालय निदेशक, स्थानीय निकाय लखनऊ, 12 निगमों में से 3 नगर निगमों, 194 नगरपालिका परिषदों में से 38 नगर पालिका परिषदों एवं 421 नगर पंचायतों में से 49 नगर पंचायतों की मार्च 2008 से जून 2008 तक नमूना जाँच की गयी थी। (परिशिष्ट-4)

2.2.2. वित्तीय प्रबंधन

अनुदानों की वर्षवार प्राप्ति एवं उनके उपभोग निम्नवत दिये गये हैं :-

वर्ष	यू एल बी को प्राप्त अनुदान एवं अवमुक्ति	व्यय (अवमुक्ति का प्रतिशत)
2005-06	103.40	* *
2006-07	103.40	57.34 (55)
2007-08	103.40	24.12 (23)

* * निदेशक, स्थानीय निकायों द्वारा सूचना प्रदत्त नहीं की गयी।

सारणी से यह देखा गया कि वर्ष 2006-08 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों ने मार्च 2008 तक प्राप्त अनुदानों में से मात्र 23 से 55 प्रतिशत तक ही व्यय किया था।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना था कि भारत सरकार से अनुदान प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर शहरी स्थानीय निकायों के खाते में अनुदान जमा किए जाये विफल रहने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस समय प्रचलित ब्याज दर से बिलम्ब अवधि के लिए ब्याज भी देना था। निदेशक, स्थानीय निकायों के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच से परिलक्षित होता है कि भारत सरकार से दिनांक 28 नवम्बर, 2005 को प्राप्त रु0 51.70 करोड़ (प्रथम किस्त 2005-06) के अनुदानों के हस्तान्तरण हेतु राज्य सरकार ने निदेशक स्थानीय निकाय को 12 जनवरी 2006 अर्थात् बिलम्ब के 31 दिनों बाद निर्देश जारी किया। निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा 15 दिनों के बिलम्ब के बाद 27 जनवरी 2006 को अनुदान के हस्तान्तरण का आदेश दिया गया। अतः भारत सरकार से अनुदानों की प्राप्ति की तिथि से शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने में कुल 46 दिनों का बिलम्ब हुआ। राज्य सरकार द्वारा बिलम्ब के लिए रु0 26.35 लाख के ब्याज का भुगतान किया गया परन्तु निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा बिलम्ब के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा बिलम्ब के लिए निदेशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अग्रेतर, यद्यपि राज्य-सरकार ने वर्ष 2006-08 में 15 दिनों के भीतर अनुदानों के अवमुक्तन हेतु आदेश निर्गत किया किन्तु 90 शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों के नमूना जाँच से संज्ञान में आया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कोषागार में बिल प्रस्तुतीकरण में बिलम्ब के कारण उनके खाते में धनराशि वास्तव में 2 से 191 दिनों के विलम्ब से जमा की गई।

यह इस ओर इंगित करता है कि राज्य स्तर पर उचित अनुश्रवण न तो राज्य सरकार द्वारा और न ही निदेशक, स्थानीय निकाय एवं शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर किया गया जिससे कि शहरी स्थानीय निकायों के खाते में धनराशि वास्तविक रूप में 15 दिनों के अंदर जमा की गयी थी जैसा कि टी0एफ0सी0 द्वारा वांछित था।

2.2.2.1 निधियों का व्यवर्तन

“जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन” (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) तथा “छोटे एवं मझोले शहरों के लिए शहरी अवस्थापन विकास योजना” (यू0आई0डी0एस0एस0एम0आई0टी0) हेतु जारी दिशा निर्देशानुसार इन योजनाओं के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान उनके अपने संसाधनों में से अपने अंश के भुगतान के बाद दिए जाने थे।

नमूना जाँच में पाया गया कि अक्टूबर 2006 एवं दिसम्बर 2007 के मध्य टी0एफ0सी0 द्वारा दिए गये अनुदानों में से रु0 8.16 करोड़¹³ नगर निगम लखनऊ एवं कानपुर द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 में एवं नगर पालिका परिषद मिर्जापुर एवं शाहजहाँपुर, द्वारा यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 में व्ययवर्तित किए गए। योजना कार्यान्वयन स्तर तक नहीं पहुँच सकी थी (जून 2008)।

2.2.2.2 उपयोग प्रमाण पत्र (यू0सी0)

टी0एफ0सी0 की अनुशंसा के प्रस्तर 14.11 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को निदेशक, स्थानीय निकायों/राज्य सरकार को अवमुक्त अनुदानों के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र (यू0सी0) देना था एवं राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रस्तुत करना था। तथापि, नमूना जाँच किए गए 90 शहरी स्थानीय निकायों में से न तो किसी ने निदेशालय/राज्य सरकार को यू0सी0 प्रेषित किया एवं न ही राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि प्रेषित की गयी। भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त की गयी निधि के प्रतिवेदन के आधार पर निधि अवमुक्त किया।

2.2.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस0डब्ल्यू0एम0)

(i) भारत सरकार द्वारा दिए गए रु0 310.20 करोड़ के अनुदानों में से, राज्य सरकार ने टी0एफ0सी0 की अनुशंसानुसार रु0 155.10 करोड़ (50 प्रतिशत) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चिन्हित किया। अवशेष 50 प्रतिशत सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइटों, जलापूर्ति, ट्रैफिक लाइटों, शवदाहगृह जैसे नागरिक सुविधाओं तथा खातों को कम्प्यूटरीकृत करने, आदि पर व्यय किया जाना था। तथापि, 25 शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2005-08 की अवधि में इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चिह्नित रु0 40.44 करोड़ में से रु0 22.18 करोड़ (55 प्रतिशत) एस0डब्ल्यू0एम0 द्वारा व्यय किया गया तथा रु0 18.26 करोड़ उनके पास अप्रयुक्त पड़ी थी।

(ii) टी0एफ0सी0 की अनुशंसानुसार 1,00,000 से अधिक जनसंख्या¹⁴ वाले म्यूनिसिपलों को सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट (एम0एस0डब्ल्यू0) के


¹³ नगर निगम, लखनऊ : 3.22 करोड़, नगर निगम : कानपुर: 4.22 करोड़, नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर : 0.48 करोड़, नगर पालिका परिषद, शाहजहाँपुर : 0.24 करोड़

¹⁴ जनगणना 2001 के अनुसार

एकत्रीकरण, पृथक्करण एवं परिवहनों पर बृहत योजना बनाना था। इस योजना हेतु अनुदानों का कम-से-कम 50 प्रतिशत धनराशि चिहिनत की जानी थी। म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संभालना), नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण, संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रक्रमण तथा निस्तारण हेतु अवसंरचना भी विकसित करने की आवश्यकता थी।

तथापि शहरी स्थानीय निकायों के नमूना जाँच में पाया गया कि एम0एस0डब्ल्यू0 के प्रबंधन हेतु कोई बृहत योजना तैयार नहीं की गई थी। खुले वाहन द्वारा अपशिष्टों का वहन किया जा रहा था जिसके कारण एकत्रित एवं संग्रहीत अपशिष्ट के बिखरे रहने को बढ़ावा मिल रहा था। अपशिष्ट प्रक्रमण सुविधा अस्तित्व में नहीं थी लैण्डफिल्स की स्थापना नहीं हुई थी। अतः दूषित भौम जल एवं पर्यावरण प्रदूषण से इंकार नहीं किया जा सकता था।

नगर निगम वाराणसी के संदर्भ में इस पतान को इंगित करने वाले फोटो निम्नवत है—



नगर निगम वाराणसी में नदी के तट पर अपशिष्ट का ढेर स्थित है।

उपरोक्त यह इंगित करता है कि एम0एस0डब्ल्यू0 के प्रबंधन हेतु उचित ध्यान नहीं दिया गया था।

2.2.4 डाटाबेस का सृजन एवं लेखों का रख रखाव

टी0एफ0सी0 की अनुशंसानुसार शहरी स्थानीय निकायों की सम्पत्तियों, उनके द्वारा सृजित राजस्व एवं आधारभूत नागरिक सुविधाओं एवं विकासमूलक कार्यों हेतु आवश्यक निधियों के व्यय का मूल्यांकन तथा आधुनिक तकनीकी एवं प्रबंधन प्रणाली के प्रयोग से लेखों के रख-रखाव एवं शहरी क्षेत्रों में भू-सम्पत्तियों के मानचित्रण हेतु प्रबंधन प्रणाली, भौगोलिक

सूचना प्रणाली एवं वित्तीय प्रबंधन को आधुनिक प्रणाली में परिवर्तित करने हेतु कम्प्यूटराइजेशन के साथ शहरी स्थानीय निकायों के निधियों के डाटाबेस के सृजन को उच्च प्राथमिकता दी जानी थी। 32 शहरी स्थानीय निकायों के नमूना जॉच में पाया गया कि रु0 1.78 करोड़ (प्राप्त अनुदान में से 2 प्रतिशत कम्प्यूटराइजेशन हेतु चिह्नित था) में से रु0 0.75 लाख कम्प्यूटरों के खरीद पर व्यय किया गया परन्तु न तो डाटाबेस तैयार किया गया और न ही लेखे कम्प्यूटर पर बनाए गए थे। उनके पास रु0 1.03 करोड़ की अवशेष धनराशि अप्रयुक्त पड़ी रही।

2.2.5 अनुश्रवण

उच्च स्तरीय समिति (एच0एल0सी0) को प्रत्येक मद के कार्य के संदर्भ में समयबद्ध भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण करने एवं तदनुसार प्रत्येक वर्ष की उपलब्धि पर नजर रखने की आवश्यकता थी। नगर निगम के संदर्भ में मण्डलायुक्त तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के संदर्भ में जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय को भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रेषित किया जाना था जो प्रगति रिपोर्ट समेकित करने तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी था। अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि स्थानीय निकायों ने निदेशालय को भौतिक उपलब्धि की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया। इसका न तो राज्य स्तर पर अनुश्रवण किया गया, न ही भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया।

2.2.6 निष्कर्ष

राज्य सरकार द्वारा समय से अनुदान के अवमुक्त होने तथा उसके उपभोग का अवलोकन हेतु कोई प्रभावी तंत्र विकसित नहीं किया गया। निधियों की उपलब्धता के बावजूद दो वर्षों के व्यतीत होने पर भी कम्प्यूटराइजेशन एवं डाटाबेस का सृजन नहीं किया गया। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नियमित रूप से म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण नहीं किया गया था एवं म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण के बाद उसके पृथक्करण हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। अपशिष्ट प्रक्रमण की सुविधा एवं लैंडफिल साइटों के अस्तित्व में न होने के परिणामस्वरूप नमूना जॉच किए गये सभी शहरी स्थानीय निकायों में खुले में क्षेपण किया जा रहा था। प्रभावी अनुश्रवण के अभाव में म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट नियमों के उल्लंघन के कारणों का पता नहीं लगा एवं फलतः पर्यावरण दूषित एवं मानव स्वास्थ्य जोखिम में था।

2.2.7 संस्तुतियाँ

- शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय डाटा बेस का सृजन जिसमें उनकी सम्पत्तियों, राजस्व सृजन तथा व्यय हेतु मूलभूत जनसुविधाओं तथा विकास के कार्यों के लिये व्यय हेतु निधियों की आवश्यकताओं का आकलन किया जाना चाहिए।
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट प्रक्रमण सुविधाओं को व्यवस्थित करने हेतु समयबद्ध योजना बनाई जानी चाहिए।

अध्याय-3
लेन-देनों की लेखापरीक्षा

अध्याय—III

3.1 नगर निगम, लखनऊ द्वारा रु0 5.04 करोड़ का निष्फल व्यय

नगर निगम लखनऊ द्वारा शासनादेशों के अनुपालन सुनिश्चित करने में निष्क्रियता एवं असफलता के कारण रु0 5.04 करोड़ का निष्फल व्यय

शासन द्वारा गोमती नदी के तटों पर निशातगंज सेतु से हनुमान सेतु तक सौन्दर्यकरण परियोजना तथा रु0 10.54 करोड़ की लागत से द्वारों (गेटों) के निर्माण की स्वीकृति दी गयी (2004-06) एवं नगर निगम लखनऊ को धनराशि, कंस्ट्रक्शन एवं डिजाइन सेवाएं, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ (निगम), जो परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु प्रत्यायोजित कार्यदायी संस्था को अन्तरण हेतु अवमुक्त की गयी थी। परियोजना के साथ-साथ हनुमान सेतु एवं निशातगंज सेतु के दोनों ओर प्रवेश द्वारों के निर्माण की अवधारणा थी। जैसा कि इन द्वारों का निर्माण सौन्दर्यकरण की दृष्टि से एक विशेष प्रकृति का कार्य था, शासन ने नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ को निर्देश (फरवरी 2006) दिया कि वास्तु अवधारणा तथा ढांचागत डिजाइन के साथ-साथ विशिष्टियों हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के साथ सिंचाई विभाग, पी0डब्ल्यू0डी0 एवं पर्यावरण विभाग आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्राप्ति के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

नगर निगम लखनऊ के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2007) से परिलक्षित हुआ कि जनवरी 2006 से अगस्त 2006 की अवधि तक निगम को कार्य निष्पादन करने के लिए रु0 10.54 करोड़ शासन के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित किए बिना ही हस्तान्तरित कर दिया गया था। निगम ने बिना उचित अध्ययन, बिना ठोस ढांचागत डिजाइन तैयार किए तथा यहाँ तक कि सम्बन्धित विभागों से अपेक्षित अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बिना फरवरी 2006 में कार्य प्रारम्भ कर दिया। उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका¹ में भी यह निर्देश (नवम्बर, 2006) दिया कि विशेषज्ञ समिति² रिपोर्ट जिसमें यह सुनिश्चित किया गया हो कि इससे जनजीवन एवं सम्पत्ति को कोई खतरा नहीं है, प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य किया जाए। इसी बीच, निगम द्वारा अक्टूबर 2005 से मई 2007 के मध्य रु0 10.54

¹ संख्या— 7486/2006

² प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 सेतु निगम, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्य अभियन्ता, लखनऊ क्षेत्र, उ0प्र0 जल निगम एवं निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम

करोड़ में से रु0 5.04 करोड़ कार्य पर³ व्यय एवं नगर निगम लखनऊ को रु0 0.25 करोड़ रोककर रु0 5.25 करोड़ वापस किए गए (दिसम्बर 2007 से अप्रैल 2008) शासन द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अपने प्रतिवेदन (फरवरी 2007) में यह विचार व्यक्त किया कि द्वारों के खम्भों की नींव की गहराई अपर्याप्त थी। समिति ने अग्रेत्तर सिफारिश की कि द्वारों का निर्माण फिर से आरम्भ करने के पूर्व द्वारों की नींव की सुरक्षा आवश्यक है। अतः वास्तुविद द्वारा उपयुक्त डिजाइन पर आवश्यक सुरक्षा का कार्य करने के उपरान्त ही गेट निर्माण का कार्य पुनः प्रारम्भ किया जाए। विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन एवं एक वास्तुविद से प्राप्त प्रतिवेदन (अप्रैल 2007) की प्राप्ति के बावजूद भी कार्य पुनः आरम्भ नहीं हुआ था (नवम्बर 2008)। एवं नगर निगम लखनऊ के वैयक्तिक लेखा खाते में अवशेष रु0 5.25 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध थी। कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व शासनादेश का अनुपालन न करने से परियोजना अपूर्ण रह गयी तथा रु0 5.04 करोड़ का व्यय पूर्णतः अलाभकारी रहा।

नगर निगम लखनऊ ने स्वीकार किया (नवम्बर 2007) कि वास्तुविद से प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका था। इस प्रकार वास्तुविद द्वारा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के बीस माह पश्चात भी नगर निगम लखनऊ तीव्र गति से निर्माण कार्य को सुनिश्चित करने में असफल था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जुलाई 2008), उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2009) था।

3.2 अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

मरम्मत कार्यों एवं सामग्री क्रय/सेवाओं हेतु दिया गया अग्रिम 10 वर्षों से अधिक समय से असमायोजित रहे

नगर निगम लेखा संहिता नियम-57 (3) लेखा संहिता सपठित वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 (भाग-1) में निहित नियम 162 के अनुसार व्यक्ति विशेष को दिये गये अस्थाई अग्रिमों का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक किया जाना चाहिए जिसमें अग्रिम दिये गये है।

नगर निगम, इलाहाबाद के अभिलेखों की जांच (जुलाई, 2007) में पाया गया कि वर्ष 1993-2007 की अवधि में नगर निगम के विभिन्न अधिकारियों को (परिशिष्ट-5) रु0 2.16 करोड़ रुपये का अग्रिम मरम्मत कार्य, सामग्री क्रय हेतु एवं अन्य सेवाओं हेतु प्रदान किया

³ गोमती नदी के तट का सौन्दर्यीकरण : रु0 0.61 करोड़, हनुमान सेतु द्वार : रु0 1.59 करोड़, निशान्तगंज सेतु के दोनों किनारों पर विशाल द्वार रु0 2.84 करोड़

था, का समायोजन लम्बित था। इस धनराशि में रु0 21.01 लाख एवं रु0 17.60 लाख क्रमशः 10 वर्षों एवं पांच वर्षों से अधिक पुरानी थी। इन लम्बित अग्रिमों का समायोजन समय से न किये जाने से नगर निगम लेखा संहिता के प्रावधानों एवं वित्तीय नियमों की अवहेलना की गयी जो कि अप्रभावी अनुश्रवण तरीकों का द्योतक थी। गंभीर वित्तीय अनियमितता के अतिरिक्त, अग्रिमों का समायोजन न किये जाने से कपट एवं गबन के जोखिम से इन्कार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर नगर निगम, ने उत्तर में बताया (जुलाई 2007) कि लम्बित अग्रिमों के समायोजन के लिए कार्यवाही की गयी थी। तथापि, नवीनतम एकत्रित सूचना (जून 2008) में असमायोजित धनराशियों में कोई कमी नहीं पाई गई।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (फरवरी 2008), उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2009) था।

3.3 महाराजगंज नगर पंचायत द्वारा रु0 77.19 लाख का अलाभकारी व्यय

अविवेकपूर्ण निर्णय से जलापूर्ति प्रणाली के निर्माण पर किया गया रु0 77.19 लाख का व्यय अलाभकारी रहा

जनपद महाराजगंज में घुघाली के निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर पंचायत (एन0पी0) द्वारा जलापूर्ति प्रणाली के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश, जल निगम, गोरखपुर को अपेक्षित भूमि हस्तान्तरण हेतु एक संकल्प (मार्च 1990) अनुमोदित किया गया। परियोजना प्रतिवेदन में वर्ष 1996 तक 1600 परिवारों को एवं 2005 तक 1900 परिवारों को जल संयोजन उपलब्ध कराने एवं उससे नगर पंचायत की आय (1996 : रु0 4.03 लाख एवं 2005: रु0 4.91 लाख) सृजित करने का लक्ष्य रखा।

महाराजगंज नगर पंचायत के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2008) में पाया गया कि निर्मात्री संस्था द्वारा अप्रैल 1995 में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया एवं रु0 77.19 लाख की लागत से मार्च 1999 में कार्य पूर्ण कर दिया गया। संस्था द्वारा छः वर्षों के बिलम्ब के बाद वर्ष 2005 में नगर पंचायत को जलापूर्ति प्रणाली हस्तान्तरित की गयी। प्रणाली को हस्तान्तरित करने/प्राप्त करने में विलम्ब के कोई कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। तदन्तर जलापूर्ति प्रणाली एक वर्ष के लिए सुनिश्चित की गयी एवं विद्युत प्रभार के रूप में रु0 3.13 लाख (अप्रैल 2005 से अप्रैल 2008 की अवधि में) व्यय किये गये। तथापि, पंचायत क्षेत्र में किसी भी परिवार द्वारा पानी का कनेक्शन नहीं लिया क्योंकि पंचायत

क्षेत्र में 25 सार्वजनिक नल थे जिसके परिणामस्वरूप जलापूर्ति बन्द कर दी गई एवं सम्पूर्ण जलापूर्ति प्रणाली यथास्थिति मई 2008 तक निष्क्रिय पड़ी रही।

इस प्रकार आवश्यकता का मूल्यांकन किए बिना परिवार को पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने के अविवेकपूर्ण निर्णय से रु0 77.19 लाख की लागत से सृजित जलापूर्ति प्रणाली निष्फल रही। इसके अतिरिक्त रु0 3.13 लाख विद्युत प्रभार पर व्यय किए गये (अप्रैल 2005 से अप्रैल 2008 तक)।

नगर पंचायत ने उत्तर (मई 2008) में बताया कि जनता की रुचि न होने के कारण कनेक्शन नहीं दिए गए। उत्तर से स्पष्ट है कि कार्य निष्पादन के पूर्व आवश्यकता का समुचित आकलन नहीं किया गया था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 2008), उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2009) था।

3.4 राजस्व की हानि

समय से कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप रु0 39.60 लाख के राजस्व की हानि हुई

शासनादेश⁴ (नवम्बर 2001) के अनुसार "नगर पंचायत उपविधि तैयार कर नगर पंचायत के दायरे में आने वाले वाहनों एवं उस निकाय के स्टैंडों या पार्किंग स्थलों में रूकने या पंचायत से यात्रियों को चढ़ाने या उतारने पर कर आरोपित कर सकते हैं। नगर पंचायत गोवर्धन (एन0पी0) द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाले वाहनों के लिए उपविधि⁵ तैयार की गई जिसमें यह प्रावधान था कि क्षेत्र में आने वाले वाहन चालक वाहन स्टैंड में रोकेंगे एवं नगर पंचायत कर्मचारी या ठेकेदार को प्रभार भुगतान करने हेतु रसीद लेंगे। रोडवेज बसों को छोड़कर शासकीय वाहनों, शव वाहन पार्टी, कृषि उत्पाद सहित ट्रैक्टर/ट्रालियों, दो पहिया वाहनों तथा नगर पंचायत सीमा में बिना रूके वहाँ से गुजर जाने वाले वाहनों को इस प्रकार से मुक्त रखा गया था।

नगर पंचायत, गोवर्धन जनपद मथुरा के अभिलेखों की संवीक्षा (जून, 2007) में पाया गया कि जनपद द्वारा अपने स्थलों/स्टैंडों को बिना चिन्हित किए एक वर्ष के लिए नीलामी की गयी (मार्च 2004) एवं जिसका विभागीय मूल्य रु0 60 लाख निर्धारित किया गया था। उच्चतम

⁴ शासनादेश सं0- 3586/ -9-2011/98 दिनांक : 26 नवम्बर, 2001

⁵ गजेट अधिसूचना दिनांक 29 मार्च, 2003

बोली रु0 1.25 करोड़ की लगायी गई थी जबकि द्वितीय उच्चतम बोली रु0 77 लाख थी। नगर पंचायत द्वारा रु0 5 लाख जमानत जमा कर उच्चतम बोली स्वीकार की गयी परन्तु बोली के उपबन्धों एवं शर्तानुसार बोली दाता द्वारा अगले बैंकिंग कार्य दिवस तक बोली की एक चौथाई राशि जमा नहीं की जा सकी थी। परिणामतः बोली निरस्त (मार्च 2004) कर दी गयी तथा जमानत जमा (रु0 5.00 लाख) जब्त कर ली गई।

नीलामी के शर्तों के अनुसार अनुबन्ध के लिए द्वितीय उच्च बोली कर्ता के समक्ष प्रस्ताव रखने के बजाय, पंचायत कर्मचारी बारह दिनों⁶ के लिए परिनियोजित किए गए एवं रु0 1.53 लाख की धनराशि एकत्रित हुई। अप्रैल, 2004 में स्थलों या स्टैंडों का वित्तीय वर्ष के शेष 353 दिनों के लिए रु0 25,225 प्रतिदिन (353 दिनों के लिए रु0 89.04 लाख) की दर से पुनः नीलामी की गई। नगर पंचायत द्वारा पार्किंग स्थलों को चिन्हित न किए जाने के कारण ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से अवरोध लगाकर राहगीरों से शुल्क वसूलना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा यह कार्य बंद करने के लिए ठेकेदार को आदेश दिया गया (जून, 2004)। तथापि ठेकेदार ने जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए राहगीरों से अवैध शुल्क अक्टूबर 2004 तक वसूलना जारी रखा। इसके बाद पंचायत ने रु0 13.87 लाख अर्जित किये। अक्टूबर 2004 में ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया क्योंकि प्रशासनिक आदेशों के अधीन वसूली का महत्वपूर्ण समय व्यतीत हो गया था एवं उसके बाद कोई शुल्क एकत्रित नहीं किए गए। इस प्रकार, विभाग द्वारा निर्धारित रु0 60 लाख के सापेक्ष मात्र रु0 20.40 लाख अर्जित किया गया था (कमी : रु0 39.60 लाख, 66 प्रतिशत)।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं दी गई।

इस प्रकार समय से कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप रु0 39.60 लाख के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मार्च 2008), उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2009) था।

3.5 देवरिया नगर पालिका परिषद द्वारा रु0 23.49 लाख का अलाभकारी व्यय

नक्शे के अनुमोदन के बिना कार्य प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप रु0 23.49 लाख का अलाभकारी व्यय।

नगर पालिका परिषद, देवरिया के अभिलेखों की जाँच (जून 2007) में पाया गया कि नगर पालिका परिषद ने अपनी बैठक (जून, 1999) में अपने स्वामित्व वाली भूमि के एक अंश पर

⁶ 01 अप्रैल 2004 से 12 अप्रैल 2004

स्टेडियम निर्माण का निर्णय जिसका मानचित्र निर्धारित प्राधिकरण विनियमित क्षेत्र (पी0ए0आर0ए0), देवरिया द्वारा अनुमोदित (फरवरी 2000) किया गया। नगर पालिका परिषद ने हालांकि सितम्बर 2002 की बैठक में स्टेडियम निर्माण के पूर्व निर्णय को निरस्त किया एवं वहां 240 आवासीय प्लॉट के आवासीय कालोनी को विकसित करने तथा उससे प्राप्त निधि का उपयोग अन्य बाड़ों की आधारभूत संरचना के विकास में किए जाने का निर्णय लिया। नगर पालिका परिषद ने मानचित्र को अनुमोदनार्थ पी0ए0आर0ए0 को प्रस्तुत (जुलाई 2003) किया जिसका अनुमोदन प्रतीक्षित (जून 2008) था। इसी बीच नगर पालिका परिषद ने पी0ए0आर0ए0 द्वारा मानचित्र पर अनुमोदन लिए बिना एक ठेकेदार के माध्यम से कार्यप्रारम्भ कर दिया तथा कार्य पर जुलाई 2003 से सितम्बर 2005 तक रु0 23.49 लाख⁷ का व्यय किया गया। जिलाधिकारी देवरिया के आदेशानुसार, कार्य रोक (अप्रैल 2004) दिया गया क्योंकि यह विकास कार्य ऐसे स्थान पर निष्पादित हो रहा था जहाँ किसी अन्य कार्य अर्थात् स्टेडियम का ले आउट पहले से अनुमोदित था।

इस प्रकार निर्धारित प्राधिकारी से ले आउट के अनुमोदन के बिना कार्य प्रारम्भ करने से विकास कार्य पर किया गया रु0 23.49 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।

अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, देवरिया ने बताया (जून 2007) कि पी0ए0आर0ए0 को मानचित्र प्रस्तुत किया जा चुका था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पी0ए0आर0ए0 द्वारा ले आउट के अनुमोदन के बिना विकास कार्य प्रारम्भ करना अनियमित था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2008), उत्तर प्रतीक्षित (मार्च, 2009) था।

⁷ सड़क इत्यादि रु0 17.79 लाख, पार्क विकास रु0 5.11 लाख, परामर्श रु0 0.18 लाख शउट प्रभार रु0 0.41 लाख।

3.6 परिहार्य देयता

नगर पंचायत, गोवर्धन द्वारा कर्मचारियों के वेतन से देय धनराशियों को जमा न करने से रु0 10.69 लाख एवं कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करने से रु0 23.94 लाख की देनदारियों का सृजन किया जाना।

शासनादेश⁸ (फरवरी 1978) में यह प्रावधान है कि कर्मचारी के वेतन से कटौती किए गए भविष्य निधि अंशदान एवं पेंशन अंशदान को राष्ट्रीयकृत बैंक में सम्बन्धित कर्मचारी के क्रमशः भविष्य निधि खाता एवं पेंशन खाता में जमा किया जाना चाहिए। अग्रेत्तर देयताओं की वृद्धि से बचने के लिए कर्मचारी के वेतन आदि का समय से भुगतान किया जाना चाहिए।

नगर पंचायत, गोवर्धन के अभिलेखों की जाँच (जून 2007) में पाया गया कि वर्ष 1988 से 2001 की अवधि में कर्मचारियों के वेतन से रु0 10.69 लाख की धनराशि जो भविष्य निधि में अंशदान एवं पेंशन अंशदान से सम्बन्धित थी को उनके संदर्भित बैंक खातों में जमा नहीं किए गये। अग्रेत्तर वर्ष 2000–2005 की अवधि में कर्मचारियों को उनके वेतन के रूप में रु0 23.94 लाख भुगतान किया जाना शेष था। अतः नगर पंचायत द्वारा शासनादेश का अनुपालन न कर रु0 34.63 लाख (परिशिष्ट-6) की देनदारियों को सृजित किया गया।

नगर पंचायत ने बताया (अप्रैल 2008) की राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुदानों की कम प्राप्ति एवं नगर पंचायत की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के कारण देयताएं उन्मोचित नहीं की जा सकी थी। तथापि उत्तर के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मार्च 2008), उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2009) था।

3.7 बोली की धनराशि रु0 9.18 लाख एवं स्टाम्प शुल्क पर रु0 1.61 लाख की परिहार्य हानि

नगर पालिका परिषद अकबरपुर द्वारा अनुबन्ध के निरस्तीकरण/पुनः नीलामी की विफलता एवं स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध प्रतिपादित न करने के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

नगर पालिका परिषद (एन0पी0पी0) अकबरपुर, जिला अम्बेडकर नगर ने टैक्सी-टेम्पो स्टैण्ड का वर्ष 2005–06 का ठेका उच्चतम बोलीदाता को रु0 20.07 में प्रदान (मार्च 2005) किया।

⁸ शासनादेश सं0- 12417T/9.1.1977 दिनांक 02 फरवरी, 1978

चयनित बोलीदाता के साथ रु0 1.61 लाख⁹ के अनुबंध का निष्पादन करना था तथा अनुमोदित बोली की एक तिहाई राशि को अनुमोदन के तुरन्त बाद जमा करना था। शेष राशि को नौ समान मासिक किस्तों में उत्तरवर्ती माहों में जमा करना था, अन्तिम किस्त माह दिसम्बर 2005 में देय थी। अनुबन्ध के शर्तों में ठेकेदार द्वारा राशि जमा करने में चूक की स्थिति में अनुबन्ध रद्द करने एवं उसे पुनः नीलामी का प्रावधान था। पुनः नीलामी से हुए नुकसान की भरपाई, यदि कोई हो, तो चूक करने वाले ठेकेदार द्वारा की जानी थी।

नगर पालिका परिषद के अभिलेखों की जांच में (अगस्त, 2007) यह पाया गया कि ठेकेदार, जिसकी बोली अनुमोदित की गयी थी ने केवल रु0 5.69 लाख (मार्च 2005) की राशि जमा की थी जो कि बोली के एक तिहाई राशि (रु0 6.69 लाख) से कम थी। वह आगामी किस्तों¹⁰ को जमा करने तथा अनुबंध का निष्पादन अपेक्षित स्टाम्प पेपर पर करने में भी असफल रहा। यद्यपि ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का अनादर किया गया फिर भी उसे अनियमित ढंग से दिसम्बर 2005 तक पार्किंग प्रभार वसूली की अनुमति दी गयी। अनुबन्ध के निरस्त होने (दिसम्बर 2005) के बाद नगर पालिका परिषद पार्किंग प्रभार की वसूली विभागीय तौर पर जनता से शुरू की तथा जनवरी 2006 से मार्च 2006 के मध्य रु0 5.20 लाख एकत्रित किये। किन्तु एन0पी0पी0 बोली की राशि में से रु0 9.18 लाख¹¹ तथा रु0 1.61 लाख ठेकेदार से स्टाम्प शुल्क के कारण देय को वसूल करने में असमर्थ रही। एन0पी0पी0 द्वारा अनुबन्ध को समय से रद्द करने तथा उसकी पुनः नीलामी करने से इस हानि को रोका जा सकता था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित (अगस्त 2007) किये जाने पर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद ने इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं दी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2008), उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2009) था।

3.8 शासकीय राजस्व को कोषागार में न जमा किया जाना

ठेकेदारों के देयकों से काटी गयी रु0 12.87 लाख के आयकर एवं व्यापार कर की धनराशि को शासकीय लेखों में जमा न किया जाना

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से विभिन्न कार्य निष्पादित किये जाते हैं, जैसे- सीमेंट कंक्रीट की सड़क बिछाना, नालियों एवं सभा कक्षों का निर्माण इत्यादि।

⁹ भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 40, अनुसूची 1B के अनुसार रु0 20.07 लाख का रु0 80 प्रति हजार की दर से

¹⁰ रु0 20.07 लाख का वांछित $1/3 = रु0 6.69$ लाख।

¹¹ वसूली योग्य रु0 20.07 लाख, ठेकेदारों से रु0 5.69 लाख वं विभाग से रु0 5.20 लाख वसूल किया गया। कुल वसूल की गई धनराशि रु0 10.89 लाख। हानि रु0 20.07 लाख - रु0 10.89 लाख = 9.18 लाख।

सरकारी करों¹² को देयकों से काटने एवं उन्हें शासकीय खाते में जमा करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं वितरण अधिकारी का होता है।

सात पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2007 एवं फरवरी 2008) में पाया गया कि जिला सीतापुर के एक नगर पालिका परिषद¹³ एवं पॉंच जिलों¹⁴ के छः अन्य नगर पंचायतों ने निर्माण कार्य ठेके के मूल्य रु0 3.33 करोड़ फरवरी 2002 एवं मार्च 2007 के मध्य ठेकेदार को दिया। सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा भुगतान करते समय रु0 12.87 लाख (आयकर: रु0 7.19 लाख एवं व्यापार कर: रु0 5.68 लाख) (परिशिष्ट-7) का कर देयकों से काटा परन्तु बिना किसी कारण का उल्लेख किए उसे शासकीय खाते के कोषागार जमा नहीं किया एवं 24 महीनों से 72 महीनों के पश्चात भी एकत्रित राशि को अपने बैंक खाते में ही रखा।

इस प्रकार रु0 12.87 लाख का शासकीय राजस्व वसूली के लम्बे समय बाद भी शासकीय खाते से बाहर रहा। यह वित्तीय हस्तपुस्तिका¹⁵ के प्राविधान का भी उल्लंघन करता है जिसके अनुसार शासकीय पावती की प्राप्ति पर उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद अधिशासी अधिकारियों ने बताया कि (जुलाई 2007 एवं फरवरी 2008 के मध्य) कि राजस्व कोषागार में जमा कर दिए जाएंगे।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जुलाई 2008), उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2009) था।

3.9 अवस्थापना निधि में से रु0 7.36 लाख का अनियमित व्यय

नगर निगम लखनऊ ने अवस्थापना निधि से सीमेन्ट कंक्रीट सड़क के निर्माण पर शासन के रोक के आदेश की अवहेलना करते हुए सीमेन्ट कंक्रीट सड़क का निर्माण किया

शहरी स्थानीय निकायों (यू0एल0बी0) के अन्तर्गत आधारभूत संरचना को विकसित तथा मजबूत करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश (शासन) शहरी स्थानीय निकायों को (अवस्थापना निधि) ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। जिसका समायोजन भविष्य में जारी होने वाले राज्य वित्त अनुदान से किया जाता है। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अवस्थापना निधि से सीमेन्ट, कंक्रीट सड़क निर्माण पर सरकार द्वारा रोक¹⁶ (अप्रैल 2005) में लगा दी गयी थी

¹² आयकर: आयकर अधिनियम 1961 के अधीन 2.24 प्रतिशत एवं व्यापार कर : व्यापार कर अधिनियम 1948 के अधीन 4 प्रतिशत

¹³ महमोदाबाद

¹⁴ एटा: अवागढ, उन्नाव: फतेहपुर चौरासी, मथुरा: गोवर्धन, फतेहपुर: कोरा जहानाबाद एवं बहुआ तथा प्रतापगढ़ पट्टी।

¹⁵ वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-21

¹⁶ शासकीय आदेश संख्या-1/नौ-9-2005 दिनांक 18 अप्रैल, 2005

क्योंकि कार्यों का निष्पादन लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची दरों तथा विशिष्टियों के अनुरूप नहीं हो रहा था। जिसके फलस्वरूप कार्य गुणवत्ता के अनुरूप नहीं थे।

अभिलेखों की जांच (जुलाई 2007) में पाया गया कि नगर निगम (एन0एन0) लखनऊ ने दो सीमेन्ट कंक्रीट सड़क स्वीकृति किये (मई 2005 एवं सितम्बर 2005) तथा शासन के उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए रुपया 7.36 लाख¹⁷ की लागत से दो सी0सी0 सड़क निर्माण किया (नवम्बर, 2005 से सितम्बर 2006)।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर नगर निगम ने उत्तर दिया (जुलाई 2007) की कार्यों को शासनादेश निर्गत होने से पूर्व ही स्वीकृति प्राप्त थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यों की स्वीकृति मई 2005 तथा सितम्बर 2005 में मिली थी जबकि अवस्थापना निधि से सीमेन्ट कंक्रीट सड़कों के निर्माण पर रोक का आदेश अप्रैल 2005 में जारी किया गया था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (फरवरी 2008) उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2009) था।

3.10 रुपये 5.43 लाख का आधिक भुगतान

दर अनुसूची को लागू करने में असफलता के फलस्वरूप ठेकेदार को रु0 5.43 लाख का अधिक भुगतान किया गया

कार्य का निष्पादन लोक निर्माण विभाग द्वारा दर अनुसूची में तय दर के अनुसार होना चाहिए। प्रभारी अभियन्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ठेकेदार के साथ समझौते में प्रस्तुत, कार्य निष्पादन की दर, दरों अनुसूची के अनुसार हो।

नगर पंचायत कुरारा, जिला हमीरपुर के कार्यालय के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि शासन ने नगर पंचायत को तीन कार्यों के निष्पादन के लिए रु0 50 लाख की धनराशि की मंजूरी दी (सितम्बर 2006) जिसकी अनुमानित लागत रु0 50.02 लाख थी। अन्य कार्यों के साथ इन कार्यों, जिनका निष्पादन 2006-07 में होना था में, 679.175 घन मी0 की सीमेन्ट कंक्रीट कार्य¹⁸ था जिसके लिए लोक निर्माण विभाग ने रु0 1250 प्रति घन मी0¹⁹ की दर निर्धारित किया था एवं जो 23.03.2007 तक वैध था। जाँच से यह भी पाया गया कि नगर

¹⁷ (i) इन्दिरा नगर सेक्टर-12 में मकान सं0- 229 से 313 के मध्य सी0सी0 सड़क पर रु0 4.26 लाख की प्रमाणक सं0-94 दिनांक 10.11.2005

(ii) बेगम हजरत महल वार्ड में बाबा संजय गली में सी0सी0 सड़क पर रु0 3.10 लाख, प्रमाणक सं0- 180 दिनांक 01.09.2006

¹⁸ $(62.394 + 210.13)मी^3 + 254.347 मी^3 + 152.304 मी^2 = 679.175 घन मी0$

¹⁹ छर अनुसूची मद सं0 281, बांदा लोक निर्माण विभाग सर्कल अध्याय-5


पंचायत के अधिशासी अभियन्ता ने कार्य का प्राक्कलन रु0 1250 प्रति घन मी0 के स्थान पर रु0 2050 प्रति घन मी0 से तैयार किया यद्यपि निर्धारित दर लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के दर से 800 प्रति घन मीटर से ज्यादा थी। अग्रेत्तर यह भी पाया गया कि अवर अभियन्ता (तकनीकी), निर्माण प्रखण्ड, लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर ने भी प्राक्कलन की जांच बिना यह सुनिश्चित किये कि आकलन में प्रस्तुत दर लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के अनुसार वैध है। ठेकेदारों के साथ समझौते का निष्पादन ऊंची दर पर हुआ एवं उन्हें रु0 50.18 लाख का भुगतान, उनके देयक के अनुसार मार्च 2007 में किया गया। जो रु0 5.43 लाख²⁰ अधिक था।

इस प्रकार नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी एवं अवर अभियन्ता (तकनीकी) निर्माण प्रखण्ड, लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर द्वारा यह सुनिश्चित करने में कि दर, दरों अनुसूची से अधिक नहीं है कि विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को रु0 5.43 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कुरारा, जिला हमीरपुर ने बताया (सितम्बर 2007) कि अवर अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राक्कलन को मंजूरी दी गयी थी उत्तर मान्य नहीं था। क्योंकि अवर अभियन्ता (तकनीकी), निर्माण प्रखण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित दर लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची से अधिक थी जो कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के विरुद्ध था।


प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2008), उत्तर प्रतीक्षत (मार्च 2009) था।

इलाहाबाद
दिनांक: 27, अगस्त 2009


(अन्जन कुमार आइच)
वरिष्ठ उपमहालेखाकार
(स्थानीय निकाय)

प्रतिहस्ताक्षरित

इलाहाबाद
दिनांक: 27, अगस्त 2009


(ए0के0पटनायक)
प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)
उत्तर प्रदेश

²⁰ (2049.70 - 1250) 679.175 घन मी0 = रु0 5.43 लाख।

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट-1
कर संग्रहण की बकाया वसूली
(संदर्भ, प्रस्तर संख्या-1.6 पृष्ठ संख्या-8)

अ. नगर निगम

(रु० लाख में)

नगर निगम का नाम	श्रेणी	एरियर	वर्ष 2006-07 के लिये वर्तमान मांग	कुल	वर्ष के दौरान वसूली	अवशेष
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)
कानपुर	समान्य एवं सरल कर	7315.86	5639.18	12955.04	1946.66	11008.38
गाजियाबाद	दुकान का किराया	90.76	49.38	140.14	30.44	109.70
	गृहकर	8.49	3.72	12.21	2.45	9.76
लखनऊ	गृहकर	268.01	632.71	900.72	849.98	50.74
	योग	7683.12	6324.99	14008.11	2829.53	11178.58

ब- नगर पालिका परिषद

(रु० लाख में)

नगर पालिका परिषद का नाम	श्रेणी	एरियर	वर्ष 2006-07 के लिये वर्तमान मांग	कुल	वर्ष के दौरान वसूली	अवशेष
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)
उन्नाव	गृहकर	38.65	41.19	79.84	27.99	51.85
	जलकर	34.83	30.69	65.52	21.06	44.46
	प्रदर्शनकर	4.44	0.70	5.14	0.53	4.61
मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर	जलकर	3.15	12.00	15.15	8.09	7.06
उजिहनी, बदायूं	गृहकर	12.56	6.06	18.62	4.27	14.35
	जलकर	16.06	5.03	21.09	2.00	19.09
	तहबाजारी	7.15	0.64	7.79	0.64	7.15
	जलकर	2.10	4.02	6.12	2.29	3.83
दादरी, जी.बी. नगर	करार	21.46	6.70	28.16	6.86	21.30
	गृहकर	10.67	13.35	24.02	15.56	8.46
जमानिया, गाजीपुर	गृहकर	5.93	2.98	8.91	2.19	6.72
	जलकर	1.75	3.76	5.51	2.76	2.75
गौरा बरहज, देवरिया	गृहकर	8.76	0.81	9.57	1.14	8.43
	जलकर	15.17	1.20	16.37	1.63	14.74
	जल शुल्क	5.82	1.66	7.48	1.33	6.15
	किराया	8.02	2.45	10.47	1.67	8.80
रूदौली, बाराबंकी	गृहकर	3.99	3.88	7.87	1.95	5.92
	जल शुल्क	6.67	7.05	13.72	4.83	8.89
बिलासपुर, रामपुर	गृहकर	2.25	3.11	5.36	2.67	2.69
	जलकर	3.78	6.06	9.84	5.23	4.61
	तहबाजारी	9.02	0.00	9.02	2.18	6.84
हमीरपुर	दुकान का किराया	14.61	2.73	17.34	0.67	16.67
	टैक्सी स्टैण्ड	2.75	1.50	4.25	1.50	2.75
	तहबाजारी	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49
देवरिया	गृहकर	25.27	36.30	61.57	22.31	39.26
	जलकर	20.67	36.30	56.97	20.34	36.63
	दुकान का	12.46	18.15	30.61	12.38	18.23

31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

	किराया					
	तहबाजारी	5.32	1.21	6.53	0.93	5.60
सिद्धार्थनगर	जल शुल्क	6.15	1.88	8.03	1.29	6.74
	टैक्सी स्टेण्ड	4.90	7.06	11.96	6.53	5.43
हलदौर, बिजनौर	जल शुल्क	6.19	2.79	8.98	1.78	7.20
	गृहकर	14.26	4.10	18.36	1.80	16.56
कुशीनगर पडरौना	गृहकर	7.12	1.87	8.99	4.90	4.09
	जलकर	11.51	2.78	14.29	5.16	9.13
	दुकान का किराया	13.66	6.42	20.08	14.40	5.68
मैनपुरी	गृहकर	12.11	19.97	32.08	8.14	23.94
	जलकर	25.94	39.94	65.88	13.88	52.00
नानपारा बहराइच	गृहकर	6.60	0.00	6.60	1.56	5.04
	जलकर	11.74	0.00	11.74	1.30	10.44
	जल की लागत	14.44	2.80	17.24	2.47	14.77
सिरसागंज फिरोजाबाद	गृहकर	6.83	0.00	6.83	1.99	4.84
	जलकर	9.32	0.00	9.32	3.18	6.14
	किराया	11.01	2.10	13.11	3.47	9.64
		466.58	341.24	807.82	246.85	560.97

स-नगर पंचायत

(₹0 लाख में)

नगर पंचायत का नाम	श्रेणी	एरियर	वर्ष 2006-07 के लिये वर्तमान मांग	कुल	वर्ष के दौरान वसूली	अवशेष
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)
तुलसीपुर बलरामपुर	लाइसेन्स	0.87	0.98	1.85	0.98	0.87
	किराया	1.90	1.63	3.53	2.50	1.03
	स्टैण्ड	4.61	4.96	9.57	4.95	4.62
लार, देवरिया	जल शुल्क	2.05	0.48	2.53	0.56	1.97
	किराया	2.22	6.73	8.95	1.44	7.51
फूलपुर इलाहाबाद	जल शुल्क	3.83	2.38	6.21	1.77	4.44
भदरसा, फैजाबाद	गृहकर	0.36	0.00	0.36	0.03	0.33
	दुकान का किराया	0.03	0.01	0.04	0.00	0.04
खरगुपुर, गोण्डा	गृहकर	5.60	0.00	5.60	0.44	5.16
	जल शुल्क	2.80	0.75	3.55	1.41	2.14
पचपेरवा, बलरामपुर	जल शुल्क	0.89	2.23	3.12	0.94	2.18
इल्लिफातगंज, अम्बेडकरनगर	दुकान का किराया	0.18	0.28	0.46	0.21	0.25
	पशु पर अनुज्ञप्ति	0.06	0.01	0.07	0.01	0.06
	मिष्ठान एवं चाय की दुकान	0.04	0.01	0.05	0.01	0.04
	दुकान की अनुज्ञप्ति	1.13	0.18	1.31	0.06	1.25
सुमैरपुर, हमीरपुर	पशु पर अनुज्ञप्ति	0.10	0.08	0.18	0.08	0.10
	कारकलौस	1.15	0.74	1.89	0.74	1.15
	तहबाजारी	6.84	0.00	6.84	0.00	6.84
	गृहकर	5.39	0.00	5.39	0.76	4.63
कुरारा, हमीरपुर	स्टैण्ड	1.40	2.55	3.95	2.55	1.40
	तहबाजारी	3.12	0.00	3.12	0.00	3.12
	कारकलौस	0.17	0.46	0.63	0.51	0.12
	गृहकर	1.14	0.00	1.14	0.29	0.85
	दुकान का किराया	0.25	0.13	0.38	0.11	0.27
	तालाब का ठेका	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05
हरिहरपुर, संतकबीरनगर	गृहकर	0.97	0.00	0.97	0.79	0.18
	टैक्सी स्टैण्ड	0.27	0.15	0.42	0.08	0.34
	तालपोखरा	0.12	0.10	0.22	0.07	0.15
	तहबाजारी	0.52	0.25	0.77	0.25	0.52

31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

ऊन मुजफ्फरनगर	गृहकर	2.88	9.68	12.56	2.27	10.29
थाना भवन	गृहकर	5.90	4.88	10.78	3.57	7.21
	जल शुल्क	4.31	4.34	8.65	3.36	5.29
	तहबाजारी	0.48	0.41	0.89	0.41	0.48
धनकौर, गौतमबुद्ध नगर	गृहकर	7.70	3.34	11.04	1.71	9.33
चरथावल, मुजफ्फरनगर	गृहकर	6.01	1.53	7.54	0.85	6.69
	जल शुल्क	6.51	2.49	9.00	1.70	7.30
	नीलामी	1.43	0.47	1.90	0.79	1.11
फतेहपुर चौरासी, उन्नाव	गृहकर	0.93	0.50	1.43	0.06	1.37
	जल शुल्क	0.79	2.16	2.95	0.09	2.86
	दुकान का किराया	0.30	0.08	0.38	0.03	0.35
पटयाली, एटा	तहबाजारी	5.57	0.00	5.57	0.00	5.57
	गृहकर	8.72	0.00	8.72	1.04	7.68
	जल शुल्क	6.29	1.52	7.81	1.14	6.67
फफूंद, औरय्या	गृहकर	0.05	1.83	1.88	0.69	1.19
	जल शुल्क	0.03	0.40	0.43	0.43	0.00
	पानी का किराया	0.00	1.70	1.70	1.49	0.21
	नीलामी	0.57	2.28	2.85	2.85	0.00
	व्यवसाय	0.21	0.68	0.89	0.05	0.84
	दुकान का किराया	0.00	1.59	1.59	1.55	0.04
देवियापुर, औरैय्या	गृहकर	0.24	2.95	3.19	1.68	1.51
	जल शुल्क	1.47	2.05	3.52	2.01	1.51
हरैया, बस्ती	अनुज्ञप्ति	3.85	0.97	4.82	0.72	4.10
भरगांव, एटा	गृहकर	6.74	3.17	9.91	2.07	7.84
	दुकान का किराया	0.47	0.05	0.52	0.02	0.50
	नीलामी	0.29	0.37	0.66	0.04	0.62
अतरौलिया, आजमगढ़	गृहकर	1.37	1.17	2.54	1.04	1.50
	जल शुल्क	0.36	0.61	0.97	0.50	0.47
बिलरियागंज, आजमगढ़	गृहकर	1.58	0.71	2.29	0.48	1.81
कोरा जहानाबाद	जल शुल्क	8.95	4.22	13.17	1.94	11.23
	गृहकर	4.33	4.42	8.75	0.36	8.39
बेहशुमा, मेरठ	नीलामी	1.13	2.34	3.47	2.27	1.20
	जल शुल्क	1.85	1.66	3.51	0.96	2.55
	गृहकर	1.08	0.00	1.08	0.96	0.12

लावर, मेरठ	गृहकर	6.38	1.82	8.20	2.38	5.82
	जल शुल्क	8.94	3.30	12.24	2.94	9.30
टैकटनगर, बाराबंकी	जल शुल्क	0.89	0.13	1.02	0.39	0.63
	गृहकर	7.39	2.17	9.56	1.33	8.23
सादाबाद, महामायानगर	जल शुल्क	3.40	4.34	7.74	3.17	4.57
	वैल्थकर	2.63	0.00	2.63	0.02	2.61
	दुकान किराया	2.81	8.51	11.32	7.06	4.26
गवनबदायूं	गृहकर	5.58	0.00	5.58	2.86	2.72
	जल शुल्क	1.11	0.41	1.52	0.52	1.00
हैदरगढ़, बाराबंकी	जल शुल्क	4.51	2.23	6.74	1.70	5.04
	दुकान का किराया	2.13	0.76	2.89	0.63	2.26
	गृहकर	3.32	0.94	4.26	0.64	3.62
कुल योग		189.54	114.27	303.81	84.31	219.50

परिशिष्ट-2

नगद अवशेषों का मिलान न किया जाना

(संदर्भ;प्रस्तर संख्या-1.10 पृष्ठ संख्या-10)

अ- नगर निगम

(रु० करोड़ में)

क्र० सं०	इकाईकानाम	जिला	कैशबुक के अनुसार	पासबुक के अनुसार	अन्तर
1	गाजियाबाद	गाजियाबाद	10.36	12.58	2.22
2	लखनऊ	लखनऊ	85.59	70.49	15.10
3	मेरठ	मेरठ	20.42	23.71	3.29
कुल योग					20.61

ब-नगर पालिका परिषद

(रुपये में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	जिला	कैशबुक के अनुसार	पासबुक के अनुसार	अन्तर
1	उजिहनी	बदायूं	9204298.34	9856395.84	652097.50
2	नूरपुर	बिजनौर	3778352.00	5318485.28	1540133.28
3	दादरी	जी.बी.. नगर	6907230.90	12362762.56	5455531.66
4	अमनियान	गाजीपुर	3919662.64	3962688.14	43025.50
5	मौदहा	हमीरपुर	2504739.75	3717049.05	1212309.30
6	मुंगराबादशाहपुर	जौनपुर	121217.96	999526.55	878308.59
7	गुरसहाय गंज	कन्नौज	7445341.77	7719124.16	273782.39
8	लहारपुर	सीतापुर	14562430.58	16237586.29	1675155.71
कुल योग					11730343.93

स-नगर पंचायत

(रुपये)

क्र. सं.	इकाई का नाम	जिला	कैशबुक के अनुसार	पासबुक के अनुसार	अन्तर
1	फूलपुर	इलाहाबाद	481653	827166	345513
2	इल्लिफातगंज	अम्बेडकरनगर	665328	714180	48852
3	अतरौलिया	आजमगढ़	1362647	1507254	144607
4	बरबला	बदायूं	697194	869342	172148
5	पचपेरवा	बलरामपुर	402171	587619	185448
6	टिकैतनगर	बाराबंकी	7057603	6593158	464445
7	बी.बी. नगर	बुलन्दशहर	11201627	8897235	2304392
8	खानपुर	बुलन्दशहर	238442	186567	51875
9	लार	देवरिया	1581387	1630651	49264
10	अवागढ़	एटा	5361141	5643297	282156
11	निधोलीकला	एटा	1073391	856969	216322
12	भदरसा	फैजाबाद	6628478	6626759	1719
13	बीकापुर	फैजाबाद	1985012	3251695	1266683
14	धनकौर	गौतमबुद्ध नगर	1721624	1920610	198986
15	गोहान्ड	हमीरपुर	1139788	418818	720969
16	सुमैरपुर	हमीरपुर	3206692	3766756	560064
17	रामकोला	कुशीनगर	5808799	5535372	273427
18	सहपऊ	महामायानगर	3041927	3665022	623095
19	बहसुमा	मेरठ	1101418	1187702	86284
20	लवर	मेरठ	1554767	1826498	263132
21	चरथावल	मुजफ्फरनगर	2658451	3121028	462577
22	कटरामेदनीगंज	प्रतापगढ़	635850	675571	39721
23	फतेहपुर चौरासी	उन्नाव	308001	389392	81391
				कुल योग	8843070

परिशिष्ट-3

वैकल्पिक सुधारों की सूची जो राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लागू किये जाने थे

(सन्दर्भ-प्रस्तर 2.1.8, पृष्ठ संख्या-23)

क.सं.	सुधारों का नाम
1	शहरी स्थानीय निकायों में प्रॉपर्टी टाइटिल के प्रमाणीकरण की प्रस्तावना।
2	भवन उपनियमों की अनुमोदन प्रक्रिया का पुनरीक्षण।
3	भवन उपनियमों का पुनरीक्षण जिसके द्वारा जल संरक्षण अनिवार्य बनाया जाये।
4	सभी आवासीय परियोजनाओं में अल्प आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लिये विकसित भूमि में 25 प्रतिशत को चिन्हित किया जाना।
5	कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग हेतु परिवर्तित किये जाने हेतु विधिक एवं प्रक्रियात्मक व्यवस्था का सरलीकरण
6	भूमि एवं भवन की पंजीकरण प्रक्रिया के कम्प्यूटराइजेशन का प्रस्ताव
7	पुनर्चकित जल के पुनः उपयोग पर उपविधि।
8	प्रशासनिक सुधार
9	संरचनात्मक सुधार
10	पब्लिक प्राइवेट सहभागिता को बढ़ावा देना।

परिशिष्ट-4

नमूना जांच की गयी इकाईयों की सूची
(संदर्भ प्रस्तर 2.2.1, पृष्ठ संख्या-26)

नगर निगम- वाराणसी , कानपुर, लखनऊ ।

नगर पालिका परिषदें- मिर्जापुर, चुनार, रायबरेली, शाहजहांपुर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, सिरसागंज (फिरोजाबाद), मथुरा, सहारनपुर, नाकुद (सहारनपुर), महमूदाबाद, लहरपुर (सीतापुर), गोण्डा, नवाबगंज (गोण्डा), हमीरपुर, मौदहा (हमीरपुर), मुंगरा बादशाहपुर (जौनपुर), रूदौली (फैजाबाद), गुरसहाय गंज (कन्नौज), उन्नाव, गंगाघाट (उन्नाव), हल्दौर, नूरपुर (बिजनौर), पिहानी (हरदोई), बहैरी (बरेली), विलासपुर, स्वार (रामपुर), उजिहनी, सहसवान (बदायूं), दादरी (गौतमबुद्ध नगर), घाटमपुर (कानपुर नगर), पुखरायों (कानपुर देहात), भदोही (संत रविदास नगर), देवरिया, मैनपुरी जलालपुर, अकबरपुर (अम्बेडकरनगर) ।

नगर पंचायतें- कछवा (मिर्जापुर), बछरावां, ऊंचाहार, परसादेपुर, लालगंज (रायबरेली), कटरा, पुवाया (शाहजहांपुर), निवारी, डासना (गाजियाबाद), मीरापुर, थाना भवन (मुजफ्फरनगर), फरिया जसराना (फिरोजाबाद), गोवर्धन, राया (मथुरा), रामपुर मनिहारन, सुल्तानपुर चिलकना (सहारनपुर), गोहाण्ड (हमीरपुर), निधुलिकलां, भरगैन, पटियाली (एटा), हरैया (बस्ती), अतरौलिया, बिलरियागंज, जीयनपुर, महाराजगंज (आजमगढ़) फफूंद, डिबियापुर (औरैया), कुरसत (हरदोई), बहुआ, कोद्र जहानाबाद (फतेहपुर), घुघली (महाराजगंज), हैदरगढ़, टिकैतनगर, सिधौर, रामनगर (बाराबंकी), साहामऊ (महामाया नगर), लवाद, बहसुमा (मेरठ), रामकोला (कुशीनगर) जंगीपुर(गाजीपुर), गावा, गुन्नौर (बदायूं), पट्टी, कटरा मोदनीगंज (प्रतापगढ़), शिवराजपुर (कानपुर नगर), बी0बी0 नगर, खानपुर (बुलन्दशहर), दुद्धी (सोनभद्र) ।

परिशिष्ट-5
असमायोजित अग्रिम
(सन्दर्भ-प्रस्तर 3.2, पृष्ठसंख्या-33)

(रु० लाख में)

क्र. सं.	विंग का नाम जिसके कर्मचारियों/अधिकारियों को अग्रिम प्रदान किये गये	अवधि जिसके दौरान अग्रिम प्रदान किये जाने थे			
		1992-93 से 1996-97	1996-97 से 2001-02	2002-03 से 2006-07	योग
1	2	3	4	5	6
1	पशुधन विभाग	—	3.02	0.51	3.53
2	निर्माण विभाग	—	—	121.66	121.66
3	जनस्वास्थ्य विभाग	0.15	0.98	32.82	33.95
4	उद्यान विभाग	—	—	10.54	10.54
5	लोक निर्माण	20.86	13.60	11.91	46.37
	योग	21.01	17.60	177.44	216.05

परिशिष्ट-6
नगर पंचायत गोवर्धन द्वारा दायित्वों का सृजन
(सन्दर्भ-प्रस्तर 3.6, पृष्ठ संख्या-38)

(रु० लाख में)

क्र. सं.	मद	अवधि	धनराशि
1	भविष्य निधि (सफाई मजदूर)	1988 से दिसम्बर 1993	2.35
2	पेंशन अंशदान	फरवरी 1993 से जून 2001	8.34
3	वेतन		
	(1) सफाई मजदूर	(i) जुलाई-दिसम्बर 2004	7.84
	(2) कार्यालय	(ii) सितम्बर-नवम्बर 2000 एवं अप्रैल 2004 से फरवरी 2005	3.19
			12.91
		योग	34.63

परिशिष्ट-7

देयकों से काटी गई परन्तु शासकीय लेखे में जमा न की गयी
आयकर/व्यापारकर की धनराशि

(सन्दर्भ-प्रस्तर 3.8, पृष्ठ संख्या-40)

जिला	पी0आर0आई0 का नाम	अवधि	भुगतान की धनराशि	आयकर के रूप में कटौती की गयी परन्तु शासकीय लेखे में जमा न की गयी धनराशि	व्यापारकर के रूप में कटौती की गयी परन्तु शासकीय लेखे में जमा न की गयी धनराशि
			रूपये में		
सीतापुर	न.प.प. महमूदाबाद	2005-06	5329621	98069	119384
एटा	न.प. अवागढ़	2/05 से 10/06	6342199	142066	317109
उन्नाव	न.प. फतेहपुर न.प. चौरासी	7/05 से 3/07	5230620	117166	0
मथुरा	न.प. गोवर्धन	9/05	543119	12492	21725
फतेहपुर	न.प. कोराजहांनाबाद	2005-06 एवं 2006-07	8179151	183213	0
प्रतापगढ़	न.प. पट्टी	2/02 से 2/04	2753800	54375	110152
फतेहपुर	न.प. बहुआ	2006-07	4966741	111255	0
योग			33345251	718636	568370

